



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

केन्द्रीय सरकार AN ECONOMIC
के बजट का AND FUNCTIONAL
आर्थिक और CLASSIFICATION
कार्य - संबंधी OF THE CENTRAL
वर्गीकरण GOVERNMENT BUDGET

2004-2005

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
आर्थिक कार्य विभाग DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS
आर्थिक प्रभाग ECONOMIC DIVISION
नई दिल्ली NEW DELHI

विषय-सूची CONTENTS

		पृष्ठ	PAGE
प्रस्तावना	Preface		(i)
I. आर्थिक वर्गीकरण	I. Economic Classification	...	1
II. आर्थिक और कार्य संबंधी वर्गीकरण	II. Economic-cum-Functional Classification	...	15
परिशिष्ट	Appendix	...	24

वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य प्रभाग, बजट को आर्थिक विश्लेषण का एक उपयोगी माध्यम बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1957-58 से केन्द्रीय सरकार के बजटीय लेन-देनों का वर्गीकरण तैयार करता आ रहा है। संक्षेप में, इस वर्गीकरण के द्वारा केन्द्रीय सरकार के, जिसमें रेलवे तथा डाक व दूर संचार भी शामिल हैं, व्ययों और प्राप्तियों का वर्गीकरण, महत्वपूर्ण आर्थिक वर्गों के अनुसार किया गया है, जिसमें चालू खाते के स्वर्च को पूंजी परिव्यय से, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के व्यय को व्यक्तियों और संस्थाओं को किए गए अन्तरणों से, कर संबंधी प्राप्तियों को अन्य प्राप्तियों से तथा उधारों और अन्तर-सरकारी ऋणों और अनुदानों आदि से अलग करके दिखाया गया है। इस रीति से पुनर्वर्गीकृत करके केन्द्रीय सरकार को प्राप्त होने वाली आमदनी तथा उसके द्वारा किए जाने वाले व्ययों को लेन-देनों के महत्वपूर्ण वर्गों से संबंधित किया जा सकता है, जो कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की प्रवृत्तियों को प्रभावित करते हैं। चूंकि राष्ट्रीय आय-वर्ग की सरकारी खाता पद्धति ही आर्थिक वर्गीकरण की सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है, इसलिए इस विश्लेषण में वही प्रणाली तथा सिद्धान्त प्रयोग में लाये गये हैं जो कि राष्ट्रीय आय संबंधी लेखा प्रणाली में प्रयुक्त किए जाते हैं।

देश में आर्थिक आयोजना के समारम्भ के पश्चात्, वार्षिक आयोजना परिव्ययों को बजट सम्बन्धी परिव्ययों से एकीकृत कर दिया गया है, जिसके अनुसार बजट सम्बन्धी परिव्ययों का और आगे विश्लेषण कार्य सम्बन्धी वर्गों के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार के कार्यात्मक वर्गीकरण से इस बात के विश्लेषण में सहायता मिलती है कि केन्द्रीय सरकार आयोजना में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न कार्यों या प्रयोजनों के लिए कितनी राशि आवंटित कर रही है। तदनुसार केन्द्रीय सरकार के लेन-देनों से संबंधित आर्थिक और कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण तैयार करने का काम 1967-68 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है।

आगे के पृष्ठों में प्रस्तुत किया गया, केन्द्रीय सरकार के 2004-05 के बजट का आर्थिक एवं कार्य-संबंधी वर्गीकरण पहले के वर्षों की प्रणाली के ही अनुरूप किया गया है। इस विश्लेषण के मुख्य-मुख्य निष्कर्षों का संक्षिप्त विवरण भाग I और II में दिया गया है और इस वर्गीकरण में इस्तेमाल की गई विभिन्न मदों को कहाँ से प्राप्त किया गया है और इसके लिए औचित्य का आधार क्या है, इसे भी अन्त में तकनीकी परिशिष्ट में विस्तार से बताया गया है।

केन्द्रीय सरकार के 2004-05 के बजट के विश्लेषण से पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार का खपत व्यय जो मजदूरी, वेतन और वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर आधारित है 2003-04 (संशोधित अनुमान) के 95718 करोड़ रुपए से बढ़कर 2004-05 (बजट अनुमान) में 120701 करोड़ रुपए हो गया है। केन्द्रीय सरकार की प्रत्यक्ष सकल पूंजी निर्माण की रकम भी जो 2002-03 (वास्तविक) में

Since 1957-58, the Economic Division of the Ministry of Finance has been preparing an economic classification of the Central Government budgetary transactions to make the budget a more useful tool of economic analysis. In brief, this classification involves arranging the expenditures and receipts of the Central Government including those of railways and posts and telecommunications by significant economic categories distinguishing current from capital outlays, spending for goods and services from transfers to individuals and institutions, tax receipts from other receipts, and from borrowing and inter-governmental loans and grants etc. Reclassified in this manner, the flows into and out of the Central Government can be related to important categories of transactions influencing the behaviour of the other sectors of the economy. Since the national income type of government account is the most prevalent form of an economic classification, the methodology and concepts used in this analysis are those used in the national income accounting system.

With the advent of economic planning in the country, annual plan outlays have been integrated with the budgetary outlays which called for a further analysis of budgetary outlays into functional categories. Such a functional classification helps in analysing how much the Central Government is allocating to different functions or purposes in accordance with the priorities laid down in the Plan. Accordingly since 1967-68, an economic-cum-functional classification of the Central Government transactions is being prepared.

The economic-cum-functional classification of the Central Government Budget 2004-05 presented in the following pages broadly conforms to the pattern of the earlier years. The salient features of this analysis are summarised in Sections I and II, and the rationale for the derivation of various items used in this classification has been explained in the Technical Appendix at the end.

Analysis of the Central Government Budget 2004-05 shows that the consumption expenditure of the Central Government composed of wages and salaries and purchase of goods and services will increase from Rs.95718 crore in 2003-04 (Revised Estimates) to Rs.120701 crore in 2004-05 (Budget Estimates). The

(ii)

21697 करोड़ रुपए थी, बढ़कर 2003-04 (संशोधित अनुमान) में 25312 करोड़ रुपए हो जाएगी और पुनः 2004-05 (बजट अनुमान) में यह 30089 करोड़ रुपए हो जाएगा। केन्द्रीय सरकार के बजटीय संसाधनों से सकल पूंजी निर्माण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष (अन्य क्षेत्रों को पूंजी निर्माण के लिए दी गई वित्तीय सहायता), दोनों के लिए कुल वित्तीय व्यवस्था की रकम, 2002-03 (संशोधित अनुमान) के 83180 करोड़ रुपए की तुलना में 2004-05 (बजट अनुमान) में 99222 करोड़ रुपए होगी। केन्द्रीय सरकार और इसके विभागीय उपक्रमों (गैर-विभागीय उपक्रमों को "शेष अर्थव्यवस्था" के रूप में माना जाता है), की निवल निर्वचन वर्ष 2003-04 (संशोधित अनुमान) में 78491 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2004-05 (बजट अनुमान) में 67425 करोड़ रुपए होना अनुमानित है।

केन्द्रीय सरकार के विकास संबंधी कार्यकलापों पर होने वाले खर्चों में सकल पूंजी निर्माण पर परिव्यय और आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर होने वाला चालू व्यय दोनों शामिल हैं। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर होने वाले आयोजनागत तथा आयोजना-भिन्न कुल व्यय मोटे तौर पर केन्द्रीय सरकार के कुल विकास व्यय के बराबर ही हैं। अनुमान है कि 2004-05 (बजट अनुमान) में यह व्यय 180104 करोड़ रुपए होगा जो कि उस वर्ष के लिए बजट में निर्धारित कुल व्यय की राशि के 37.8 प्रतिशत के बराबर है।

Central Government's direct gross capital formation will increase from Rs.21697 crore in 2002-03 (Accounts) to Rs.25312 crore in 2003-04 (Revised Estimates) and further to Rs.30089 crore in 2004-05 (Budget Estimates). The total financial provision for gross capital formation, both direct and indirect (financial assistance provided to other sectors for capital formation) out of the Central Government budgetary resources in 2004-05 (Budget Estimates) will be Rs.99222 crore compared with Rs.83180 crore in 2003-04 (Revised Estimates). The net dissavings of the Central Government and its departmental undertakings (non-departmental undertakings are treated as "rest of the economy") are estimated at Rs.67425 crore in 2004-05 (B.E.) against Rs.78491 crore in 2003-04 (R.E.)

The Central Government's development expenditure includes both outlays on gross capital formation and current expenditure on economic and social services. The plan and non-plan expenditures in the Central Budget on economic and social services correspond broadly to the total development expenditure of the Central Government. This is estimated at Rs.180104 crore in 2004-05 (Budget Estimates) and forms 37.8 per cent of the total expenditure budgeted for that year.

टिप्पणी: पूर्णांकन के कारण संभवतः आंकड़ों का जोड़ मेल न खाए।

Note: Due to rounding, figures may not add up to total.

I. आर्थिक वर्गीकरण

इस खण्ड के अन्त में 2004-05 के केन्द्रीय सरकार के बजट के पुनः वर्गीकृत आंकड़ों के छः विवरण दिये गये हैं। इस लेखा प्रणाली से जिन महत्वपूर्ण बातों का पता चलता है वे निम्नलिखित हैं:-

- (क) केन्द्रीय सरकार का कुल व्यय,
- (ख) केन्द्रीय सरकार का अन्तिम परिचय,
- (ग) केन्द्रीय सरकार के बजटीय संसाधनों से पूंजी निर्माण,
- (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा निवल पूंजी निर्माण और उसकी बचतें,
- (ङ) केन्द्रीय सरकार के बजट संबंधी लेन-देनो में होने वाले घाटे के विभिन्न स्तर, और
- (च) केन्द्रीय सरकार द्वारा आय का निर्माण।

(क) कुल व्यय

2. अनुमान है कि केन्द्रीय सरकार का कुल व्यय जो 2003-04 (संशोधित अनुमान) में 429691 करोड़ रुपए था बढ़कर 2004-05 (बजट अनुमान) में 476171 करोड़ रुपए हो जाएगा अर्थात् यह 10.8 प्रतिशत की वृद्धि है। मुख्य व्ययों का आवंटन इस प्रकार है :

केन्द्रीय सरकार का कुल व्यय Central Government's Total Expenditure

		(करोड़ रुपए) (Rs. crore)		
		2002-03 वास्तविक Accounts	2003-04 संशोधित Revised	2004-05 बजट Budget
1. अन्तिम परिचय	1. Final outlays:	107086	121030	150789
(क) सरकार का स्वपत संबंधी व्यय (देखिए-विवरण 1)	(a) Government consumption expenditure (vide Acct.1)	85389	95718	120701
(ख) सकल पूंजी निर्माण (देखिए-विवरण 3)	(b) Gross capital formation (vide Acct. 3)	21697	25312	30089
(i) सकल स्थिर पूंजी निर्माण	(i) Gross fixed capital formation	20963	24540	29338
(ii) निर्माण कार्य भंडार में वृद्धि	(ii) Increase in works stores	734	772	751
2. शेष अर्थ-व्यवस्था के लिए अन्तरण संबंधी अदायगियां	2. Transfer payments to the rest of the economy	257907	273426	288333
(क) चालू अन्तरण (देखिए-विवरण 1)	(a) Current transfers (vide Acct.1)	228501	242847	251141
(ख) पूंजी अन्तरण (देखिए-विवरण 3)	(b) Capital transfers (vide Acct.3)	29406	30579	37192
3. शेष अर्थ-व्यवस्था में वित्तीय निवेश और उसके लिए दिए जाने वाले ऋण (देखिए-विवरण 4)	3. Financial investments and loans to the rest of the economy (vide Acct. 4)	33886	35235	37049
4. कुल व्यय (1+2+3)	4. Total Expenditure (1+2+3)	398879	429691	476171

(ख) अन्तिम परिचय

3. वर्ष 2004-05 के बजट में कुल 476171 करोड़ रुपए का व्यय रखा गया है, इसमें से केन्द्रीय सरकार का अन्तिम परिचय 150789 करोड़ रुपए या कुल परिचय का लगभग 31.7 प्रतिशत भाग है। यह परिचय स्वपत और पूंजी निर्माण के संबंध में केन्द्रीय सरकार की वस्तुओं और सेवाओं की प्रत्यक्ष मांग को सूचित करता है। राष्ट्रीय लेखा प्रणाली में ये अन्तिम परिचय शेष अर्थ-व्यवस्था के स्वपत संबंधी व्यय और पूंजी निर्माण की रकम से जुड़ जाते हैं। कुल व्यय के शेष भाग अर्थात् 325382 करोड़ रुपए अथवा 68.3 प्रतिशत भाग में अन्तरण अदायगियां वित्तीय निवेशों और ऋणों के रूप में शेष-व्यवस्था को किया गया भुगतान शामिल है। इसका उद्देश्य अन्य क्षेत्रों की चालू या पूंजीगत प्राप्तियों की अनुपूर्ति करना है।

स्वपत संबंधी व्यय

4. स्वपत संबंधी व्यय (अर्थात् मजदूरी और वेतन तथा चालू उपयोग के लिए सामान और सेवाओं के संबंध में होने वाले व्यय) के लिए 2004-05 के बजट में 120701 करोड़ रुपए की जो व्यवस्था की गई है वह अन्तिम परिचय का 80 प्रतिशत और कुल व्यय का 25.3 प्रतिशत बैठती है।

I. ECONOMIC CLASSIFICATION

A set of six accounts containing the reclassified data from the Central Government Budget for 2004-05 is placed at the end of this section. Some significant magnitudes emerging from this system of accounts are:

- (a) The Central Government's total expenditure;
- (b) The Central Government's final outlays;
- (c) Capital formation out of the budgetary resources of the Central Government;
- (d) Net capital formation and savings of the Central Government;
- (e) The various measures of deficit in the Central Government's budgetary transactions; and
- (f) Income generation by the Central Government.

(a) Total Expenditure

2. The total expenditure of the Central Government is estimated to increase from Rs. 429691 crore in 2003-04 (Revised Estimates) to Rs.476171 crore in 2004-05 (Budget Estimates), which is an increase of 10.8 per cent. The allocation of major types of expenditure is as follows:

(b) Final Outlays

3. Of the total expenditure of Rs. 476171 crore budgeted for 2004-05, Rs.150789 crore or 31.7 per cent constitute final outlays of the Central Government representing its direct demand for goods and services for consumption and capital formation. In a system of national accounts, these final outlays get linked up with the consumption expenditure and capital formation in other sectors of the economy. The rest of the total expenditure amounting to Rs.325382 crore or 68.3 per cent constitute disbursements by way of transfer payments, financial investment and loans to the rest of the economy, and are intended to supplement current and capital receipts of other sectors.

Consumption Expenditure

4. Consumption expenditure (i.e. expenditure on wages and salaries and commodities and services for current use) budgeted at Rs.120701 crore for 2004-05 forms 80 per cent of the final outlays and 25.3 per cent of the total expenditure. The

2004-05 में खपत संबंधी व्यय में होने वाली वृद्धि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान के मुकाबले में 26.1 प्रतिशत बैठती है। वर्ष 2002-03 (लेखा) की तुलना में वर्ष 2003-04 (संशोधित अनुमान) में खपत व्यय में वृद्धि 13 प्रतिशत थी।

सकल पूंजी निर्माण

5. केन्द्रीय सरकार के प्रत्यक्ष सकल पूंजी निर्माण (अर्थात् इमारतों, लोक निर्माण कार्यों, उपस्करों और अन्य स्थिर परिसम्पत्तियों के संबंध में निवेश) के बारे में अनुमान है कि यह 2003-04 (संशोधित अनुमान) के 24540 करोड़ रुपए से 19.6 प्रतिशत घटकर 2004-05 में 29338 करोड़ रुपए हो जाएगा। सकल पूंजी निर्माण के घटक में से एक यथा निर्माण कार्य भंडारों में परिवर्तन, में 2003-04 (संशोधित अनुमान) की तुलना में 2.7 प्रतिशत की गिरावट होने का अनुमान है।

(ग) केन्द्रीय सरकार के बजटीय संसाधनों से पूंजी निर्माण

पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

6. केन्द्रीय सरकार शेष अर्थ-व्यवस्था को ऐसे पूंजी निर्माण के अतिरिक्त, जो स्वयं किया जाता है, अनुदानों व ऋणों के माध्यम से और शेयरों में धन लगा कर पूंजी निर्माण करने में सहायता देती है। वर्ष 2004-05 के लिये 69133 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता वर्ष 2003-04 के संशोधित अनुमान से 19.5 प्रतिशत अधिक है।

growth in consumption expenditure works out to 26.1 per cent for 2004-05 over revised estimates for the previous year. The growth in consumption expenditure in 2003-04 (Revised Estimates) over 2002-03 (Account) was 13 per cent.

Gross Capital Formation

5. The Central Government's direct gross fixed capital formation (i.e. investment in buildings, public works, equipments and other fixed assets) is estimated to increase by 19.6 per cent, from Rs. 24540 crore in 2003-04 (Revised Estimates) to Rs.29338 crore in 2004-05. One of the components of gross capital formation, viz., changes in works stores, is budgeted to decline by 2.7 per cent over 2003-04 (Revised Estimates).

(c) Capital formation out of the budgetary resources of the Central Government

Financial Assistance for Capital Formation

6. In addition to the capital formation directly undertaken, the Central Government also provides assistance to the rest of the economy for capital formation through grants, loans and investment in share capital. The budgeted assistance of Rs. 69133 crore for 2004-05 is 19.5 per cent higher than the Revised Estimates of 2003-04.

पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता Financial Assistance for Capital Formation

		(करोड़ रुपए) (Rs. crore)		
		2002-03 वास्तविक Accounts	2003-04 संशोधित Revised	2004-05 बजट Budget
1. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (देखिए विवरण 3, मद संख्या 3.1 (क) और विवरण 4, मद संख्या 2.1)	1. States and Union Territories (vide items 3.1 (a) in Acct. 3 and 2.1 in Acct. 4)	37254	39768	46897
2. गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम (देखिए विवरण 4, मद संख्या 1.1 तथा 2.3)*	2. Non-departmental commercial undertakings (vide items 1.1 and 2.3 in Acct.4)*	4686	5407	7017
3. स्थानीय प्राधिकरण (देखिए विवरण 3, मद संख्या 3.1(ख) और विवरण 4, मद संख्या 2.2.)	3. Local authorities (vide items 3.1(b) in Acct.3 and 2.2 in Acct.4)	2950	2810	1861
4. अन्य (देखिए विवरण 3 मद संख्या 3.1(ग) और विवरण 4, मद संख्या 1.2 और 2.4)	4. Others (vide items 3.1(c) in Acct. 3 and 1.2 and 2.4 in Acct. 4)	10196	9883	13359
5. पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (1+2+3+4)	5. Financial assistance for capital formation (1+2+3+4)	55085	57868	69133

* यह वास्तविक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया पूंजी निर्माण है, चूंकि गैर-विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को शेष अर्थ-व्यवस्था से सम्बद्ध मान लिया जाता है, इसलिए इस शीर्ष के अन्तर्गत आने वाले परिस्य को शेष अर्थ-व्यवस्था में पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मान लिया गया है।

* This is essentially capital formation by the Central Government but since non-departmental commercial undertakings are treated as belonging to the rest of the economy, the outlay under this head is taken as financial assistance for capital formation in the rest of the economy.

पूंजी निर्माण के लिए कुल व्यवस्था

7. इस प्रकार केन्द्रीय सरकार, 2004-05 में सकल पूंजी (निर्माण कार्य भंडार में 751 करोड़ रुपए की वृद्धि सहित) के लिए बजट में उपलब्ध संसाधनों से 99222 करोड़ रुपयों की व्यवस्था करेगी। यह रकम केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय का 20.8 प्रतिशत बैठती है। सकल पूंजी निर्माण के लिए 2004-05 में जो कुल व्यवस्था की गई है, वह वर्ष 2003-04 के लिए संशोधित अनुमान की तुलना में 19.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

Total provision for capital formation

7. Thus, in the aggregate, the Central Government would provide Rs. 99222 crore for gross capital formation (including increase in work store of Rs.751 crore) out of its budgetary resources during 2004-05 representing 20.8 per cent of its total expenditure. The aggregate provision for gross capital formation for 2004-05 shows an increase of 19.3 per cent over the revised estimates for 2003-04.

बजट संबंधी संसाधनों से सकल पूंजी निर्माण
Gross Capital Formation out of the Budgetary Resources

		(करोड़ रुपए) (Rs. crore)		
		2002-03	2003-04	2004-05
		वास्तविक	संशोधित	बजट
		Accounts	Revised	Budget
1. केन्द्रीय सरकार द्वारा सकल पूंजी निर्माण	1. Gross capital formation by the Central Government	21697	25312	30089
2. शेष अर्थ-व्यवस्था में सकल पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	2. Financial assistance for capital formation to the rest of the economy	55085	57868	69133
3. केन्द्रीय सरकार के बजट संबंधी संसाधनों द्वारा सकल पूंजी निर्माण (1+2)	3. Gross capital formation out of the budgetary resources of the Central Government (1+2)	76782	83180	99222

(घ) सरकार द्वारा निवल पूंजी निर्माण और उसकी निवल बचतें

(d) Net Capital Formation and Net Savings by the Government

निवल पूंजी निर्माण

Net Capital Formation

8. सरकार द्वारा किये जाने वाले निवल पूंजी निर्माण और उसकी निवल बचतों में अन्तर से सरकार के बजट संबंधी कार्य के विस्तारकारी प्रभाव का पता चलता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा 2004-05 में 27789 करोड़ रुपए के निवल पूंजी निर्माण (अर्थात् स्थिर परिसम्पत्तियों और निर्माण कार्य भंडारों में होने वाली निवल वृद्धि) का जो अनुमान लगाया गया है वह सकल पूंजी-निर्माण की रकम में से 2300 करोड़ रुपए के विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा नवीकरण और प्रतिस्थापन पर किये जाने वाले व्यय की रकम को घटाने के बाद लगाया गया है। कुल निवल पूंजी निर्माण का ब्यौरा इस प्रकार है :-

8. The expansionary impact of the Government's budgetary operations is indicated by the difference between its net capital formation and net savings. The net capital formation by the Central Government (i.e. net addition to the stock of fixed assets and works stores) estimated at Rs. 27789 crore for 2004-05 has been arrived at by deducting from gross capital formation, the provision of Rs. 2300 crore for expenditure on renewals and replacements by the departmental commercial undertakings. The components of total net capital formation are as follows:-

केन्द्रीय सरकार द्वारा निवल पूंजी निर्माण Central Government's Net Capital Formation

		(करोड़ रुपए) (Rs. crore)		
		2002-03	2003-04	2004-05
		वास्तविक	संशोधित	बजट
		Accounts	Revised	Budget
1. निर्माण कार्य (देखिए-विवरण 3 मद संख्या 1.1 (क))	1. Construction works (vide item 1.1(a) in Acct. 3)	17266	19304	23169
2. मशीनें और उपकरण (देखिए-विवरण 3 मद संख्या 1.2 (क))	2. Machinery and equipment (vide item 1.2(a) in Acct. 3)	2235	3192	3869
3. निर्माण कार्य संबंधी सामान में वृद्धि (देखिए-विवरण 3, मद संख्या 2)	3. Increase in works stores (vide item 2 in Acct. 3)	734	772	751
4. केन्द्रीय सरकार द्वारा निवल पूंजी निर्माण (1+2+3)	4. Net Capital formation by the Central Government (1+2+3)	20234	23268	27789

टिप्पणी: निवल पूंजी निर्माण की रकम का अनुमान लगाते समय इसमें से प्रशासनिक इमारतों आदि के संबंध में नवीकरण तथा प्रतिस्थापन पर किया गया स्वर्च घटाया नहीं गया है जिसके लिए अनुमान उपलब्ध नहीं है।

Note : The net capital formation arrived at is without deducting expenditure on renewals and replacements in respect of administrative buildings for which no estimates are available.

निवल बचतें

Net Saving

9. केन्द्रीय सरकार और इसके विभागीय उपक्रमों की निवल बचतें 2002-2003 में 83197 करोड़ रुपए, 2003-04 (सं.अ.) में 78491 करोड़ रुपए थीं और 2004-05 में इनके 67425 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

9. The net dis-savings of the Central Government and its departmental undertakings were Rs. 83197 crore in 2002-2003, Rs. 78491 crore in 2003-04 (RE) and are budgeted at Rs. 67425 crore in 2004-05.

केन्द्रीय सरकार की निवल बचतें *Central Government's Net Saving*

		(करोड़ रुपए) (Rs. crore)		
		2002-03	2003-04	2004-05
		वास्तविक	संशोधित	बजट
		Accounts	Revised	Budget
1. सरकारी प्रशासन की बचतें (देखिए-विवरण 3, मद संख्या 5.1)	1. Savings of Government Administration (vide item 5.1 in Acct. 3)	-85313	-79451	-68074
2. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का निवल लाभ (i)+(ii)	2. Net profits of departmental commercial undertakings (i)(ii)	2482	2203	2019
(i) सरकारी प्रशासन को अन्तरित (देखिए-विवरण 2, मद संख्या 7)	(i) Transferred to Government Administration (vide item 7 in Acct.2)	1476	1625	1484
(ii) प्रतिधारित (देखिए-विवरण 2, मद संख्या 8)	(ii) Retained (vide item 8 in Acct.2)	1006	578	535
3. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के मूल्यहास की रकम (देखिए-विवरण 3, मद संख्या 5.3)	3. Depreciation provision of departmental commercial undertakings (vide item 5.3 in Acct.3)	2573	2426	2414
4. सरकार की सकल बचतें (1+2 (ii)+3)	4. Gross savings by Government (1+2(ii)+3)	-81734	-76448	-65125
5. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के नवीकरण और प्रतिस्थापन पर व्यय (देखिए-विवरण 3, मद संख्या 1.1 (ख) और 1.2 (ख))	5. Expenditure on renewals and replacement of departmental commercial undertakings (vide item 1.1(b) and 1.2(b) in Acct. 3)	1463	2044	2300
6. सरकार की निवल बचत (4-5)	6. Net savings by the Government (4-5)	-83197	-78491	-67425

(ड) आय संबंधी

10. केन्द्रीय सरकार की निवल बचतों की अपेक्षा उसका सीधा निवल पूंजी निर्माण जितना अधिक हो, वह केन्द्रीय सरकार की आय में होने वाले घाटे का द्योतक होता है। आय संबंधी घाटे की रकम जो 2002-2003 में 10341 करोड़ रुपए और 2003-04 (सं.अ.) में 101760 करोड़ रुपए थी, 2004-05 (ब.अ.) में बढ़कर 95214 करोड़ रुपए हो गई।

(e) Income Deficit

10. The excess of direct net capital formation over the net savings measures the income deficit of the Central Government. The income deficit which was Rs.103431 crore in 2002-2003 and Rs.101760 crore in 2003-04 (RE), improved further to Rs. 95214 in 2004-05 (BE).

आय संबंधी घाटा *Income Deficit*

		(करोड़ रुपए) (Rs. crore)		
		2002-03	2003-04	2004-05
		वास्तविक	संशोधित	बजट
		Accounts	Revised	Budget
1. निवल पूंजी निर्माण (अर्थात् केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया निवल निवेश)	1. Net capital formation (i.e. net investment by the Central Government)	20234	23268	27789
2. केन्द्रीय सरकार की निवल बचत	2. Net savings by the Central Government	-83197	-78491	-67425
3. केन्द्रीय सरकार का आय संबंधी घाटा (1-2)	3. Income deficit of the Central Government (1-2)	-103431	-101760	-95214

11. पूंजी अन्तरणों का समायोजन कर दिये जाने के बाद केन्द्रीय सरकार की निवल बचतों और निवल निवेशों के अन्तर को, जो आय संबंधी घाटे का द्योतक है, जब शेष तथा ऋणों में किये गये निवेशों जैसे वित्तीय परिसम्पत्तियों में सरकार के निवल लेन-देनों से हुए घाटे में जोड़ दिया जाता है तब वह सरकार की कुल वित्तीय आवश्यकताओं का द्योतक हो जाता है और उसे विवरण 3 और 4 की सन्तुलनकारी मदों की रकम के रूप में दिखाया गया है।

11. The income deficit, which measures the gap between the Central Government's net savings and net investments when added, after adjusting for net capital transfers, to the deficit arising out of the Government's net transactions in financial assets such as investment in shares and loans, represents the Government's total requirements of finance and is given by the sum of the balancing items in Accounts 3 and 4.

केन्द्रीय सरकार की कुल वित्तीय आवश्यकताएं *Central Government's Total Requirements of Finance*

		(करोड़ रुपए) (Rs. crore)		
		2002-03	2003-04	2004-05
		वास्तविक	संशोधित	बजट
		Accounts	Revised	Budget
1. वस्तुओं और सेवाओं के सभी लेन-देनों और अन्तरणों पर घाटा (देखिए-विवरण 3 की सन्तुलनकारी मद)	1. Deficit on all transactions in commodities and services and transfers (vide balancing item in Acct. 3)	130968	129481	128807
2. वित्तीय परिसम्पत्ति में वास्तविक वृद्धि (देखिए- विवरण 4 की सन्तुलनकारी मद)	2. Net increase in financial assets (vide balancing item in Acct. 4)	-2915	-43890	5950
3. कुल वित्तीय आवश्यकताएं (1+2)	3. Total requirements of finance (1+2)	128054	85591	134756

12. नीचे दी गई सारणी में वे स्रोत दर्शाए गए हैं जिनके माध्यम से ऊपर दिखाई गई कुल वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया गया है।

12. The following table sets out the sources through which the total financing requirements in the above table have been met:

वित्तपोषण के स्रोत *Sources of Financing*

		(करोड़ रुपए) (Rs. crore)		
		2002-03 वास्तविक Accounts	2003-04 संशोधित Revised	2004-05 बजट Budget
1. ऋणों की निवल रकम	1. Net borrowings	126171	95823	121159
1.1 बाजार ऋण (निवल)	1.1 Market loans (net)	97589	85797	90501
1.2 विदेशी ऋण (निवल)	1.2 External Debt (net)	-11934	-11705	8077
(क) परिक्रामी निधि	(a) Revolving Fund	-	500	400
(ख) अन्य	(b) Others	-11934	-12205	7677
1.3 छोटी बचत (निवल)	1.3 Small savings (net)	6730	-3364	8586
1.4 राज्य/लोक भविष्य निधियां (निवल)	1.4 StatePublic Provident Funds (net)	4621	5000	4000
1.5 गैर-सरकारी भविष्य निधियों की विशेष जमा रकमें	1.5 Special deposits of non-government Provident Funds	8736	-	-
1.6 मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋण	1.6 Medium & long term Loans	-	-	-
1.7 विविध पूंजी प्राप्तियां (निवल)	1.7 Miscellaneous capital receipts (net)	12600	20959	10131
1.8 शेष अर्थ-व्यवस्था को राजकोषीय हुण्डियां जारी करना (निवल)*	1.8 Issue of treasury bills to the rest of the economy (net)*	7829	-863	-136
2. रोकड़ बाकी से आहरण	2. Draw down of cash balance	1883	-10232	13597
2.1 रिजर्व बैंक के पास राजकोषीय हुण्डियों में निवल वृद्धि	2.1 Net increase in the RBI's holdings of Treasury Bills	-	-	-
2.2 रोकड़ बाकी से आहरण	2.2 Withdrawal from cash balances	1883	-10232	13597
3. जोड़ (1+2)	3. Total (1+2)	128054	85591	134756

* यह राज्य सरकारों, बैंकों, अनुमोदित पार्टियों और जनता के हाथ बेची गई राजकोषीय हुण्डियों में हुई निवल वृद्धि की द्योतक है। जैसी कि बजट में धारणा की गई थी, 2001-2002 में परिकलित (-)1496 करोड़ रुपए के रोकड़ बाकी से आहरण का इसमें समायोजन किया गया है।

* Denotes net change in the treasury bill holdings of State Governments, banks, approved parties and the public. Adjusting for this, the draw down of cash balance works out to Rs. 1883 crore in 2002-2003 as per the concept used in the Budget.

(च) आय का निर्माण

13. केन्द्रीय सरकार के बजट संबंधी कार्यों से 2004-05 में कुल 81838 करोड़ रुपए की आमदनी होने का अनुमान है जिसकी तुलना में यह आमदनी 2003-04 (सं.अ.) में 73801 करोड़ रुपए तथा इसकी तुलना में 2002-2003 में 69094 करोड़ रुपए थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित की जाने वाली कुल आमदनी का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

(f) Income Generation

13. The budgetary operations of the Central Government during 2004-05 are expected to generate a total income of Rs.81838 crore compared to Rs.73801 crore in 2003-2004 (R.E.) as compared with Rs.69094 crore in 2002-2003. The details of the total income generation by the Central Government are as follows:-

आय का निर्माण *Income Generation*

		(करोड़ रुपए) (Rs. crore)		
		2002-03 वास्तविक Accounts	2003-04 संशोधित Revised	2004-05 बजट Budget
1. सरकारी प्रशासन द्वारा दी गई मजदूरी और वेतन (देखाए-विवरण 1 मद संख्या 1.1)	1. Wages and salaries paid by Government Administration (vide item 1.1 in Acct. 1)	38881	42703	48687
2. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का निवल उत्पादन	2. Net output of departmental commercial undertakings	24458	24663	25429
(क) मजदूरी और वेतन (मरम्मत और रख-रखाव संबंधी मजदूरी और वेतन के भाग सहित)	(a) Wages and salaries (including wages and salaries component of repairs and maintenance operations)	17737	18578	19426
(ख) ब्याज	(b) Interest	3129	3499	3870
(ग) प्रशासन को अन्तर्गत और प्रतिधारित लाभ जिसमें नवीकरण और प्रतिस्थापन के मुकाबले मूल्यहास की व्यवस्था का आधिक्य शामिल है	(c) Profits transferred to administration and retained plus excess of depreciation provision over renewals and replacements	3592	2585	2133
3. निर्माण कार्य पर होने वाले सरकारी परिव्यय का मजदूरी और वेतन संबंधी भाग*	3. Wages and salaries component of Government outlays on construction*	5755	6435	7723
4. जोड़ (1+2+3)	4. Total (1+2+3)	69094	73801	81838

* विवरण 3 में, दिखाए गए निर्माण संबंधी कुल व्यय का एक तिहाई भाग।

*One-third of the total expenditure on construction shown in Account 3

समाधान

14. निम्नलिखित विवरण में 2004-05 के बजट में दिए गए चालू राजस्व और चालू तथा पूंजीगत व्यय के आंकड़ों और वर्तमान वर्गीकरण के विवरण संख्या 1 और 3 में दिए आंकड़ों का पारस्परिक समाधान दिखाया गया है।

Reconciliation

14. The following statement provides a reconciliation between the magnitudes of current revenues and current and capital expenditures as given in the Budget for 2004-05 and the magnitudes mentioned in Accounts 1 and 3 of the present Classification.

चालू राजस्व खाता *Current Account Venue*

		(करोड़ रुपये) (Rs. crore)		
		2002-03 वास्तविक Accounts	2003-04 संशोधित Revised	2004-05 बजट Budget
I. राजस्व जैसा कि बजट में दिखाया गया है	I. Revenue as shown in the Budget	299826.1	338601.8	380342.6
II. घटाइए:-	II. Deduct:			
1. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से ब्याज संबंधी प्राप्तियां	1. Interest receipts from departmental commercial undertakings	3128.7	3499.3	3870.3
2. पूंजी खाते में अन्तरित विदेशी अनुदानों की रकमें	2. Foreign grants transferred to capital	1868.2	2857.1	3597.9
3. राष्ट्रीय आपदा निधि को अन्तरित अधिभार	3. Surcharge transferred to National Calamity Contingency Fund	719.4	1600.0	1600.0
4. स्थानीय प्राधिकरणों को अन्तरित करों की रकम	4. Taxes transferred to Local Authorities	0.0	0.0	0.0
5. विवरण 2 में अन्तरित विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की प्राप्तियां	5. Receipts of departmental commercial undertakings transferred to Acct. 2:			
(क) रेलवे	(a) Railways	42741.5	44520.4	47015.4
(ख) डाक	(b) Posts	4009.7	4353.5	4554.0
(ग) दूर संचार	(c) Telecommunications	0.0	0.0	0.0
(घ) अन्य	(d) Others	8421.4	8793.7	9502.3
6. रक्षा प्राप्तियां (रक्षा व्यय से घटाकर)	6. Defence receipts (netted against defence expenditure)	1976.2	2078.9	2130.8
7. चलन से वापस लिए गए सिक्कों को नष्ट करने से हुई हानि	7. Loss on destruction of withdrawn coins	2.9	3.6	3.9
8. बीएसएनएल से राजस्व प्राप्तियां और व्यय को घटाकर बट्टे खाते में डाले गए ऋण	8. Revenue receipts from BSNL and write off of loans taken in reduction of expenditure	2773.1	5477.4	1255.0
9. उधारों की लागत को घटाकर बाजार उधार से सम्बन्धित प्राप्तियां	9. Write off of loans penal interest to ITI taken in reduction of expenditure	0.0	0.0	528.7
10. उधारों की लागत को कम करने के लिए बाजार उधार हेतु आक्समिक प्राप्तियां।	10. Receipts incidental to market borrowing taken in reduction of cost of borrowings	7083.4	7930.0	4000.0
जोड़ - II	Total - II	72724.5	81113.9	78058.3
III. जोड़िए:	III. Add:			
विवरण 2 से अन्तरित विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लाभ	Profits of departmental commercial undertakings transferred from Acct. 2	1476.3	1625.3	1484.3
जोड़ - III	Total - III	1476.3	1625.3	1484.3
IV सरकारी प्रशासन का चालू राजस्व जैसा कि बजट के आर्थिक वर्गीकरण के विवरण I में दिखाया गया है	IV Current revenue of Government Administration as shown in Account I of the Economic Classification of the Budget			
(I-II+III)	(I-II+III)	228577.9	259113.2	303768.6

चालू व्यय खाता *Current Account Expenditure*

		(करोड़ रुपए) (Rs. crore)		
		2002-03 वास्तविक Accounts	2003-04 संशोधित Revised	2004-05 बजट Budget
I. बजट में दिखाया गया राजस्व संबंधी व्यय	I. Revenue expenditure as shown in the Budget	409590.7	442311.4	456722.2
II. घटाइए:	II. Deduct:			
1. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को अन्तरित ब्याज	1. Interest transferred to departmental commercial undertakings	3128.7	3499.3	3870.3
2. अधिभार प्राप्तियों द्वारा प्रतिसंतुलित राष्ट्रीय आपदा निधि	2. National Calamity Contingency Fund matched by surcharge receipts	719.4	1600.0	1600.0
3. स्थानीय प्राधिकरणों को अन्तरित करों की रकम	3. Taxes transferred to Local Authorities	0.0	0.0	0.0
4. राजस्व खाते का पूंजी जैसा व्यय	4. Expenditure of capital nature in the Revenue Account	33616.6	34738.0	39586.1
5. निधियों में निवल अन्तरण	5. Net transfer to funds	3898.4	4153.7	4290.6
6. बजट में सम्मिलित विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का चालू व्यय	6. Current expenditure of departmental commercial undertakings included in the Budget:			
(क) रेलवे	(a) Railways	42741.5	44520.4	47015.4
(ख) डाक	(b) Posts	5374.1	5708.0	5928.7
(ग) दूर संचार	(c) Telecommunications	0.0	0.0	0.0
(घ) अन्य	(d) Others	6945.1	7168.4	8018.0
7. चलन से वापस लिये गये सिक्कों को नष्ट करने से हुई हानि	7. Loss on destruction of withdrawn coins	2.9	3.6	3.9
8. बट्टे खाते डाले गये ऋण	8. Loans written off	541.1	0.4	0.9
9. रक्षा प्राप्तियां (रक्षा व्यय से घटाकर)	9. Defence receipts (netted against defence expenditure)	1976.2	2078.9	2130.8
10. व्यय को घटाकर बीएसएनएल से राजस्व प्राप्तियां और प्राप्तियों से घटाकर ऋण को बट्टेखाते में डालना	10. Revenue receipts from BSNL taken in reduction of expenditure and write off loans netted against receipts	2773.1	5477.4	1255.0
11. तेल कम्पनियों को निर्देशित मूल्य प्रणाली के अन्तर्गत उनके दावों के निपटान में जारी किए गए बाण्ड	11. Bonds issued to Oil Companies in Settlement of their claims under Administred Price Machenism .	0.0	348.6	0.0
12. भा.रि. बैंक को हुई विनिमय हानि के लिए भा.रि. बैंक को जारी प्रतिभूतियां	12. Securties issued to RBI towards exchange loss on RBI	374.2	0.0	208.0
13. यूटीआई को जारी प्रतिभूतियां	13. Securities issued to UTI	1511.0	3500.0	0.0
14. उधारों की लागत को घटाकर बाजार उधार से संबंधित प्राप्तियां	14. Receipts incidental to market borrowing taken in reduction of cost of borrowing	7083.4	7930.0	4000.0
15. व्यय को घटाकर आईटीआई के ऋणों/दंड ब्याज को बट्टे खाते में डालना ।	15. Write off of loanspenal interest to ITI taken in reduction of expenditure	0.0	0.0	528.7
जोड़ - II	Total - II	110685.7	120726.7	118436.4
III. जोड़िए :	III.Add:			
1. रक्षा पूंजी परियय	1. Defence capital outlay	14952.9	16906.3	33482.9
2. पूंजी खाते का राजस्व जैसा व्यय	2. Expenditure of revenue nature in the capital account	32.5	73.6	73.4
जोड़ - III	Total - III	14985.4	16979.9	33556.3
IV बजट के आर्थिक वर्गीकरण के विवरण I में दिखाया गया सरकारी प्रशासन का चालू व्यय (I-II+III)	IV Current expenditure of Government Administration as shown in Account I of the Economic Classification of the Budget (I-II+III)	313890.4	338564.6	371842.1

पूंजी खाते का व्यय *Capital Account Expenditure*

		(करोड़ रुपए) (Rs. crore)		
		2002-03 वास्तविक Accounts	2003-04 संशोधित Revised	2004-05 बजट Budget
I. राजस्व खाते से न चुकाया जाने वाला पूंजी व्यय जैसा बजट में दिखाया गया है	I. Capital expenditure outside the revenue account as shown in the Budget	30497.1	37488.1	60718.2
II. घटाइए:-	II. Deduct:			
1. विवरण 1 में ले जाया गया रक्षा संबंधी पूंजी परिव्यय	1. Defence capital outlay taken to Account I	14952.9	16906.3	33482.9
2. विवरण 4 में ले जाया गया शेयरों में किया गया वित्तीय निवेश	2. Financial investment in shares taken to Account 4	2155.1	4052.3	5325.3
3. विवरण 4 में ले जाया गया अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों का अंशदान	3. Subscription to International Financial Organisations taken to Account 4	1128.3	1319.2	9.1
4. विवरण 4 में ले जाई गई सोने और चांदी की निवल स्वरीद	4. Net purchase of gold and silver taken to Account 4	0.3	0.2	0.2
5. विवरण 1 और 2 में ले जाई गई राजस्व जैसी मदें	5. Items of revenue nature taken to Accounts 1 and 2	32.5	73.6	73.4
6. विशेष प्रतिभूतियों के समान राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश	6. Investment in nationalised banks matched by special securities	-385.9	-50.0	0.0
जोड़ - II	Total - II	17883.2	22301.6	38890.9
III. जोड़िए :	III. Add:			
1. रेलवे और डाक-तार की अपनी निधियों से वित्तपोषित पूंजीगत व्यय	1. Capital expenditure financed out of Railways', Posts' and Telecommunications' own funds	4927.3	6016.1	5921.2
2. अन्य निधियों से वित्तपोषित पूंजी व्यय	2. Capital expenditure financed out of other funds	-55.0	-50.0	-55.0
3. राजस्व खाते से लाया गया पूंजी व्यय	3. Capital expenditure brought over from revenue account	33616.6	34738.0	39586.1
4. प्राप्तियों के रूप में विवरण 3 में लाई गई वसूलियां	4. Recoveries taken to Account 3 as Receipts	0.0	0.5	0.5
जोड़ - III	Total - III	38488.9	40704.6	45452.8
IV बजट के आर्थिक वर्गीकरण के विवरण 3 में दिया गया पूंजीगत व्यय (I-II+III)	IV Capital expenditure as shown in Account 3 of the Economic Classification of the Budget (I-II+III)	51102.8	55891.1	67280.1

केन्द्रीय सरकार
CENTRAL GOVERNMENT

विवरण 1 : वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण : सरकारी प्रशासन का चालू खाता
Account 1: Transactions in commodities and services and transfers: Current Account of Government Administration

(करोड़ रुपए) (Rs. crore)

व्यय	Expenditure	2002-03 वास्तविक Accounts	2003-04 संशोधित Revised	2004-05 बजट Budget	राजस्व	Revenue	2002-03 वास्तविक Accounts	2003-04 संशोधित Revised	2004-05 बजट Budget
1. खपत संबंधी व्यय	1. Consumption expenditure	85389.1	95717.8	120700.8	6. करों से प्राप्तियां	6. Tax Receipts	159424.6	187538.3	233906.0
1.1 मजदूरी और वेतन	1.1 Wages and Salaries	38881.3	42703.2	48686.8					
1.2 वस्तुएं और सेवाएं	1.2 Commodities and Services	46507.8	53014.6	72014.0	7. सम्पत्ति और उद्यमों से आय	7. Income from Property and enterprises	59708.7	59524.5	56418.5
					7.1 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा अन्तर्गत लाभ	7.1 Profits transferred by departmental commercial undertakings	1476.3	1625.3	1484.3
2. अन्तरण अदायगियां	2. Transfer Payments	228501.3	242846.8	251141.3	7.2 गैर विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा दिया गया लाभांश	7.2 Dividends paid by non-departmental commercial undertakings	10183.4	10842.2	12979.2
2.1 ब्याज	2.1 Interest	114802.6	121189.0	125773.9					
2.2 अनुदान	2.2 Grants:	53359.5	60120.9	64043.4	7.3 भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं का लाभ	7.3 Profits of the RBI & other Financial Institutions	11047.0	11239.6	5896.6
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(a) To States and Union Territories	27616.5	30789.1	37918.6	7.4 ब्याज की प्राप्तियां	7.4 Interest Receipts:	34493.1	32499.9	33080.1
(ख) स्थानीय प्राधिकरणों को	(b) To Local Authorities	160.0	187.2	207.1	(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से	(a) From States and Union Territories	22516.0	20937.8	25982.5
(ग) अन्य को	(c) To others	25583.0	29144.6	25917.7	(ख) अन्य से	(b) From others	11977.1	11562.1	7097.6
2.3 अन्य चालू अन्तरण	2.3 Other current transfers:	60339.2	61536.9	61324.0	7.5 अन्य	7.5 Others	2508.9	3317.5	2978.3
(क) आर्थिक सहायता	(a) Subsidies	44099.6	46935.8	46331.5					
(ख) पेंशनें	(b) Pensions	12027.8	12881.8	13202.6	8. फीस और विविध प्राप्तियां	8. Fees and Miscellaneous Receipts	9444.6	12050.4	13444.1
(ग) अन्य	(c) Others	4211.8	1719.3	1789.9					
3. कुल व्यय	3. Total Expenditure	313890.4	338564.6	371842.1	9. जोड़	9. Total	228577.9	259113.2	303768.6
4. चालू खाते की बचत	4. Saving on Current Account	-85312.5	-79451.4	-68073.5					
5. जोड़	5. Total	228577.9	259113.2	303768.6					

केन्द्रीय सरकार
CENTRAL GOVERNMENT

विवरण 2 : वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण : विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का चालू खाता
Account 2 : Transactions in commodities and services and transfers: Current Account of Departmental Commercial Undertakings

(करोड़ रुपये) (Rs. crore)

व्यय	Expenditure	2002-03 वास्तविक Accounts	2003-04 संशोधित Revised	2004-05 बजट Budget	प्राप्तियां	Receipts	2002-03 वास्तविक Accounts	2003-04 संशोधित Revised	2004-05 बजट Budget
1. मजदूरी और वेतन	1. Wages and Salaries	13015.6	13653.3	14261.4	10. बिक्री से सकल आमदनी	10. Gross Sale Proceeds	60688.3	63763.8	67851.2
2. पेशनों की अदायगियां	2. Pension Payments	6720.8	7231.8	7629.1	(क) रेलवे	(a) Railways	42741.5	44520.4	47015.4
3. वस्तुएं और सेवाएं	3. Commodities and Services	23461.1	25114.8	27583.3	(ख) रेल वर्कशाप और उत्पादन एककों के निर्माण संबंधी क्रियाकलाप	(b) Manufacturing Activity of Railways workshops and production units	5515.7	6096.2	6779.5
4. मरम्मत और अनुरक्षण	4. Repairs and Maintenance	9442.4	9850.1	10328.3					
5. ब्याज	5. Interest	3128.7	3499.3	3870.3					
6. मूल्यहास के लिए व्यवस्था	6. Provision for depreciation	2572.9	2426.1	2413.8	(ग) डाक	(c) Posts	4009.7	4353.5	4554.0
7. सरकार (प्रशासन) के चालू खातों को अन्तरित लाभ	7. Profits transferred to the current account of Government (Administration)	1476.3	1625.3	1484.3	(घ) अन्य	(d) Others	8421.4	8793.7	9502.3
8. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रतिधारित लाभ	8. Retained profits of Departmental commercial undertakings	1005.8	577.8	534.8	11. ब्याज संबंधी प्राप्तियां	11. Interest Receipts	135.3	214.7	254.1
9. जोड़	9. Total	60823.6	63978.5	68105.3	12. जोड़	12. Total	60823.6	63978.5	68105.3

केन्द्रीय सरकार
CENTRAL GOVERNMENT

विवरण 3 : वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण : सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का पूंजी खाता

Account 3 : Transactions in commodities and services and transfers: Capital Account of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings

(करोड़ रुपए) (Rs. crore)

वितरण	Disbursements	2002-03 वास्तविक Accounts	2003-04 संशोधित Revised	2004-05 बजट Budget	प्राप्तियां	Receipts	2002-03 वास्तविक Accounts	2003-04 संशोधित Revised	2004-05 बजट Budget
1. सकल स्थिर पूंजी निर्माण	1. Gross Fixed Capital Formation	20963.4	24539.9	29337.6	5. सकल बचत	5. Gross Savings	-81733.8	-76447.5	-65124.9
1.1 भवन और अन्य निर्माण	1.1 Buildings and other construction	18331.8	20870.0	24852.5	5.1 चालू खाते में बचत (प्रशासन)	5.1 Savings on current account (Administration)	-85312.5	-79451.4	-68073.5
(क) नया परिव्यय	(a) New outlay	17265.9	19304.3	23168.5	5.2 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रतिधारित लाभ	5.2 Retained profits of departmental commercial undertakings	1005.8	577.8	534.8
(ख) नवीकरण और प्रतिस्थापन	(b) Renewals and replacements	1065.9	1565.7	1684.0	5.3 मूल्यहास के लिए व्यवस्था	5.3 Depreciation provision	2572.9	2426.1	2413.8
1.2 मशीनरी और उपस्कर	1.2 Machinery and equipment	2631.6	3669.9	4485.1					
(क) नया परिव्यय	(a) New outlay	2234.6	3191.7	3869.1					
(ख) नवीकरण और प्रतिस्थापन	(b) Renewals and replacements	397.0	478.2	616.0	6. पूंजी अन्तरण	6. Capital Transfers	1868.2	2857.6	3598.4
2. निर्माण कार्य भंडार में वृद्धि	2. Increase in work stores	733.8	772.1	751.0					
3. पूंजी अन्तरण	3. Capital transfers	29405.6	30579.1	37191.5	7. शेष: वस्तुओं और सेवाओं संबंधी सभी प्रकार के लेन-देन पर घाटा और अन्तरण	7. Balance: Deficit on all transactions in commodities and services and transfers	130968.4	129481.0	128806.6
3.1 पूंजी निर्माण के लिए अनुदान	3.1 Grants for capital formation:	27241.8	28099.0	34468.3					
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(a) To States and Union Territories	15550.3	16716.8	19599.7					
(ख) स्थानीय प्राधिकरणों को	(b) To local authorities	1600.0	1580.0	1580.0					
(ग) अन्य को	(c) To others	10091.5	9802.2	13288.6					
3.2 उपदान और पेंशनों का राशिकृत मूल्य	3.2 Gratuities and commuted value of pensions	2163.3	2479.4	2722.2					
3.3	3.3 Other Capital Transfers	0.5	0.7	1.0					
4. जोड़	4. Total	51102.8	55891.1	67280.1	8. जोड़	8. Total	51102.8	55891.1	67280.1

केन्द्रीय सरकार
CENTRAL GOVERNMENT

विवरण 4 : वित्तीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तन : सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का पूंजी खाता
Account 4 : Changes in Financial Assets: Capital Account of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings

(करोड़ रुपये) (Rs. crore)

व्यय	Outgoings	2002-03 वास्तविक Accounts	2003-04 संशोधित Revised	2004-05 बजट Budget	आय	Incomings	2002-03 वास्तविक Accounts	2003-04 संशोधित Revised	2004-05 बजट Budget
1. शेयरों में लगाई गई पूंजी	1. Investments in shares	2155.1	4052.3	5325.3	7. उद्यमों की वापसी	7. Repayment of loans	33649.7	64624.6	27099.0
1.1 सरकारी उद्यम	1.1 Of Government concerns	2153.5	4050.2	5323.3	अदायगी	7.1 By States and Union Territories	26203.8	57289.0	23848.1
(क) वित्तीय उद्यम	(a) Financial concerns	-1359.9	706.2	455.6	7.1 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा	7.2 By others	7445.9	7335.6	3250.9
(ख) अन्य	(b) Others	3513.4	3344.0	4867.7	7.2 अन्य द्वारा				
1.2 अन्य उद्यम	1.2 Of other concerns	1.6	2.1	2.0	8. शेयरों में निविश	8. Disinvestment in shares	3150.7	14500.0	4000.0
2. पूंजी निर्माण के लिए ऋण	2. Loans for capital formation	25687.8	25716.4	29339.5	9. शेष: वित्तीय परिसम्पत्तियों में निवल वृद्धि	9. Balance: Net increase in Financial Assets	-2914.7	-43889.8	5949.8
2.1 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को	2.1 To States and Union Territories	21703.2	23051.1	27297.0					
2.2 स्थानीय प्राधिकरणों को	2.2 To local authorities	1350.0	1230.0	281.0					
2.3 गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	2.3 To non-departmental commercial undertakings	2532.1	1356.3	1693.5					
(क) वित्तीय उद्यम	(a) Financial concerns	1546.1	1237.9	862.3					
(ख) अन्य	(b) Others	986.0	118.4	831.2					
2.4 अन्य को	2.4 To others	102.5	79.0	68.0					
3. अन्य ऋण	3. Other loans	5979.6	2776.1	2278.0					
3.1 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	3.1 To States and Union Territories	2428.4	120.6	59.3					
3.2 गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	3.2 To non-departmental commercial undertakings	2620.6	1866.4	1713.5					
3.3 विदेशी सरकारों को	3.3 To foreign governments	806.0	581.0	424.4					
3.4 अन्य को	3.4 To others	124.6	208.1	80.8					
4. अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को अभिदान	4. Subscription to International Financial Organisations	62.9	2689.8	105.8					
5. देशीय सोने चांदी की निवल खरीद	5. Net purchase of domestic gold and silver	0.3	0.2	0.2					
6. जोड़	6. Total	33885.7	35234.8	37048.8	10. जोड़	10. Total	33885.7	35234.8	37048.8

केन्द्रीय सरकार
CENTRAL GOVERNMENT

विवरण 5 : वित्तीय देनदारियों में परिवर्तन : सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का पूंजी खाता

Account 5 : Changes in Financial Liabilities : Capital Account of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings

(करोड़ रुपए) (Rs. crore)

व्यय	Outgoings	2002-03 वास्तविक Accounts	2003-04 संशोधित Revised	2004-05 बजट Budget	आय	Incomings	2002-03 वास्तविक Accounts	2003-04 संशोधित Revised	2004-05 बजट Budget
1. बाजार ऋणों की वापसी अदायगी	1. Repayment of markt loans	27411.5	47127.5	34316.0	5. बाजार ऋण	5. Markt loans	125000.0	132924.0	124817.2
2. विदेशी ऋणों की वापसी अदायगी	2. Repayment of external debt	24285.9	25294.3	6869.7	6. विदेशी ऋण	6. External debt	12352.1	13589.6	14946.2
3. शेष: वित्तीय देनदारियों में निवल वृद्धि	3. Balance: Net increase in Financial Liabilities	126170.4	95823.4	121159.2	6.1 परिक्रामी निधि	6.1 Revolving Fund	0.0	500.0	400.0
					6.2 अन्य	6.2 Others	12352.1	13089.6	14546.2
					7. अल्प बचतें (एन एस एस एफ) (निवल)	7. Small Savings (NSSF) (net)	6730.5	-3364.1	8586.3
					8. राज्य भविष्य निधियां	8. State Provident Funds	4621.0	5000.0	4000.0
					9. गैर-सरकारी भविष्य निधियों की जमा रकमें (निवल)	9. Deposits of Non-Government Provident Funds (net)	8736.0	0.0	0.0
					10. राजकोषीय हुण्डियां (निवल)	10. Treasury Bills (net)	9122.5	-2815.0	-136.0
					(क) राजकोषीय हुण्डियां (14 दिवसीय एवं 364 दिवसीय) (निवल)	(a) Treasury Bills (14 Days to 364 Days) (Net)	14298.5	-2815.0	-136.0
					(ख) अर्थोपाय अग्रिम (निवल)	(b) Ways and Means Advances (Net)	-5176.0	0.0	0.0
					11. विविध पूंजी प्राप्तियां (निवल)	11. Miscellaneous Capital receipts (net)	11305.7	22910.7	10131.2
4. जोड़	4. Total	177867.8	168245.2	162344.9	12. जोड़	12. Total	177867.8	168245.2	162344.9

केन्द्रीय सरकार
CENTRAL GOVERNMENT

विवरण 6 : सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का रोकड़ और पूंजी समाधान खाता
Account 6 : Cash and Capital Reconciliation Account of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings

(करोड़ रुपए) (Rs. crore)

व्यय	Outgoings	2002-03 वास्तविक Accounts	2003-04 संशोधित Revised	2004-05 बजट Budget	आय	Incomings	2002-03 वास्तविक Accounts	2003-04 संशोधित Revised	2004-05 बजट Budget
1. वस्तुओं तथा सेवाओं के सभी लेन-देनों में घाटा और अन्तरण-संतुलनकारी मद विवरण-3	1. Deficit on all transactions in commodities and services and transfers - Balancing item Account-3	130968.4	129481.0	128806.6	5. वित्तीय देनदारियों में निवल वृद्धि-सन्तुलनकारी मद विवरण-5	5. Net increase in financial liabilities-Balancing item Account 5	126170.4	95823.4	121159.2
2. वित्तीय परिसम्पत्तियों में निवल वृद्धि-सन्तुलनकारी मद विवरण 4	2. Net increase in financial assets-Balancing item Account 4	-2914.7	-43889.8	5949.8	6. रोकड़ शेष में कमी	6. Decrease in cash balance	1883.3	0.0	13597.2
3. रोकड़ शेष में वृद्धि	3. Increase in cash balance	0.0	10232.2	0.0					
4. जोड़	4. Total	128053.7	95823.4	134756.4	7. जोड़	7. Total	128053.7	95823.4	134756.4

II. आर्थिक और कार्य संबंधी वर्गीकरण

15. वर्ष 2004-2005 के बजट के आंकड़ों के आधार पर आर्थिक और कार्य संबंधी इन दोनों श्रेणियों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के व्यय का सम्मिलित वर्गीकरण इस भाग के अन्त में तीन विवरणों में दिया गया है। नीचे के पैराग्राफों में इस प्रकार वर्गीकरण से निकलने वाले निष्कर्षों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है।

कुल व्यय

16. वर्ष 2004-05 के लिए बजट में की गई कुल व्यय की व्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के लिए की गई व्यवस्था का अनुमान, जो मुख्यतः केन्द्रीय सरकार के कुल विकास परिव्यय का द्योतक है, 180104 करोड़ रुपए का है अथवा यह कुल व्यय का 37.8 प्रतिशत है।

17. सामान्य सेवाओं पर 2004-05 में 110579 करोड़ रुपए अर्थात् कुल व्यय के 23.2 प्रतिशत के स्वरूप का अनुमान है। इस पुस्तिका में अपनाई गई कार्य संबंधी वर्गीकरण की योजना के अंतर्गत सामान्य सेवाओं में रक्षा व्यय और असैनिक व्यय के अतिरिक्त ऐसी मदें शामिल हैं जैसे प्रशासनिक इमारतों पर पूंजी परिव्यय और दैवी विपत्तियों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले आयोजना-भिन्न अनुदान और ऋण।

18. अनावंटनीय व्यय में ये मदें शामिल हैं, राज्यों को दिए जाने वाले सांविधिक सहायक अनुदान, संघ राज्य क्षेत्रों को आयोजना-भिन्न अनुदान, स्वायत्त और अन्य उपभोक्ता-वस्तु संबंधी आर्थिक सहायता, सरकारी ऋण पर ब्याज, पेंशनें और दूसरे देशों को दी जाने वाली सहायता। इन अनावंटनीय मदों का अनुमान जो 2004-05 के कुल व्यय का 39 प्रतिशत है, 185487 करोड़ रुपए लगाया गया है, जिसकी तुलना में 2003-04 के संशोधित अनुमान 175871 करोड़ रुपए के थे।

II. ECONOMIC-CUM-FUNCTIONAL CLASSIFICATION

15. Based on the data in the Budget for 2004-2005, a cross classification of the Central Government expenditure by both economic and functional categories has been given in the three statements at the end of this section. The following paragraphs provide a brief summary of the findings of the functional classification.

Total Expenditure

16. Of the total expenditure budgeted for 2004-05 the provision for social and economic services which covers broadly the total developmental outlays of the Central Government is estimated at Rs.180104 crore or 37.8 per cent of the total expenditure.

17. The expenditure on general services is estimated at Rs. 110579 crore for 2004-05 i.e. 23.2 per cent of the total expenditure. Under the scheme of functional classification adopted in this brochure, "general services" include, besides defence and civil expenditure, such items as capital outlays on administrative buildings and non-plan grants and loans for natural calamities to States and Union Territories.

18. The unallocable items include statutory grants-in-aid to States, non-plan grants to Union Territories, food and other consumer subsidies, interest on public debt, pensions and aid to foreign countries. These unallocable expenditures, accounting for 39 per cent of the total expenditure in 2004-05 are estimated at Rs.185487 crore as compared to the revised estimate of Rs.175871 crore for 2003-04.

कुल व्यय Total Expenditure

		(करोड़ रुपए) (Rs. Crore)		
		2002-03	2003-04	2004-05
		वास्तविक	संशोधित	बजट
		Accounts	Revised	Budget
1. सामाजिक और आर्थिक सेवाएं	1. Social and Economic Services	150963	161555	180104
2. सामान्य सेवाएं	2. General Services	80392	92264	110579
(i) रक्षा	i) Defence	55568	60206	76900
(ii) रक्षा से भिन्न स्वपत व्यय	ii) Consumption expenditure other than defence	17827	21342	24319
(iii) स्वपत-भिन्न व्यय	iii) Non-consumption expenditure	6997	10717	9361
3. अनावंटनीय व्यय	3. Unallocable	167524	175871	185487
4. कुल व्यय (1+2+3)	4. Total Expenditure (1+2+3)	398879	429691	476171

खपत संबंधी व्यय

19. 2004-05 के बजट में खपत संबंधी व्यय के लिए जो व्यवस्था की गई है उसमें रक्षा सेवाओं के लिए 76900 करोड़ रुपए, अन्य सामान्य सेवाओं के लिए 24319 करोड़ रुपए और सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के लिए 19482 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है। नीचे दी गई सारणी में 2004-05 के बजट में दिखाए गए खपत संबंधी व्यय, 2003-04 के संशोधित अनुमानों और 2002-03 के वास्तविक व्यय की रकमों का विश्लेषण किया गया है।

Consumption Expenditure

19. The 2004-05 budget provision of consumption expenditure includes Rs.76900 crore for defence, Rs.24319 crore for other general services and Rs.19482 crore for social and economic services. The table below gives a breakdown of the consumption expenditure budgeted for 2004-05, the revised estimates for 2003-04 and actuals for 2002-03.

खपत संबंधी व्यय Consumption Expenditure

		(करोड़ रुपए) (Rs. Crore)		
		2002-03	2003-04	2004-05
		वास्तविक	संशोधित	बजट
		Accounts	Revised	Budget
1. सामान्य सेवाओं पर व्यय	1. Expenditure on general services	73395	81547	101219
i) रक्षा	i) Defence	55568	60206	76900
ii) अन्य	ii) Others	17827	21342	24319
2. सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय	2. Expenditure on Social and Economic services	11994	14170	19482
3. कुल खपत संबंधी व्यय (1+2)	3. Total Consumption expenditure(1+2)	85389	95718	120701

अन्तरण अदायगियां

20. 2004-05 के लिए अन्तरण अदायगियों की 288333 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित रकम में से, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के अन्तरण के लिए 34.3 प्रतिशत, ब्याज की अदायगियों के लिए 43.6 प्रतिशत, और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सांविधिक और विकास भिन्न अनुदानों के लिए 6 प्रतिशत रकम रखी गई है। इन अन्तरणों का कार्यानुसार ब्यौरा नीचे की सारणी में दिया गया है।

Transfer Payments

20. Of the total transfer payments estimated at Rs.288333 crore for 2004-05, transfers intended for social and economic services account for 34.3 per cent, interest payments for 43.6 per cent and statutory and non-developmental grants to States and Union Territories for another 6 per cent. The table below gives the details of this functional breakdown.

अन्तरण अदायगियां Transfer Payments

		(करोड़ रुपए) (Rs. Crore)		
		2002-03 वास्तविक Accounts	2003-04 संशोधित Revised	2004-05 बजट Budget
I. सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के लिए (चालू और पूंजीगत) जिसमें से	I. Transfer for social and economic services (current and capital) of which:	89529	94016	98842
1. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित के लिए अनुदान	1. Grants to States and Union Territories for:			
i) ब्लाक आयोजनागत अनुदान	i) Block Plan Grants	19382	21615	26334
ii) त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं	ii) Accelerated Rural Water Supply Programme	1325	1485	1080
iii) परिवार कल्याण कार्यक्रम	iii) Family Welfare Programme	3186	2950	3322
2. आर्थिक सहायता	2. Subsidy:			
i) निर्यात संवर्धन और विपणन विकास योजनाओं के लिए सहायता	i) Assistance for export promotion and market development schemes	628	932	902
ii) उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता	ii) Fertilizer subsidy	7790	8140	8616
iii) अन्य	iii) Others	11506	12664	11014
II. अन्य अन्तरण	II. Other Transfers	168378	179410	189491
1. चालू	1) Current:	164614	175350	185188
i) ब्याज अदायगियां	i) Interest payments	114803	121189	125774
ii) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सांविधिक और गैर-विकासात्मक अनुदान	ii) Statutory and non-developmental grants to States and Union Territories	11449	13324	17324
iii) खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता	iii) Food subsidy	24176	25200	25800
iv) अन्य	iv) Others	14187	15637	16289
2. पूंजी	2) Capital	3764	4060	4303
III. जोड़ अन्तरण (I+II)	III. Total Transfers (I+II)	257907	273426	288333

बजटीय संसाधनों से पूंजी निर्माण

21. 2004-05(ब.अ.) में 99222 करोड़ रुपए के पूंजी निर्माण बजट का अनुमान लगाया गया है जबकि 2003-04 (सं.अ.) में 83180 करोड़ रुपए और 2002-2003 में 76782 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था। नीचे दी गई सारणी में, 2004-05(ब.अ.) में पूंजी निर्माण के लिए की गई व्यवस्था का विस्तृत कार्य संबंधी आवंटन तथा पहले के दो वर्षों का आवंटन दिखाया गया है।

Capital formation out of the Budgetary Resources

21. Capital formation is estimated at Rs.99222 crore for 2004-05 (BE) compared to Rs.83180 crore in 2003-04 (RE) and Rs.76782 crore in 2002-03. The following table indicates a detailed functional allocation of the provision for capital formation for 2004-05 (BE) and the allocation in the two preceding years.

पूँजी निर्माण के लिए व्यवस्था *Provision for Capital Formation*

		(करोड़ रुपए) (Rs. Crore)		
		2002-03 वास्तविक Accounts	2003-04 संशोधित Revised	2004-05 बजट Budget
1. सकल स्थिर पूँजी निर्माण	1. Gross Fixed Capital formation	20963	24540	29338
i) सामाजिक सेवाएं	i) Social Services	744	930	1048
ii) आर्थिक सेवाएं	ii) Economic Services	17437	19865	23775
क) कृषि	a) Agriculture	237	246	252
ख) उद्योग	b) Industry	1389	1516	2103
ग) परिवहन और संचार	c) Transport and Communications	14633	16450	18086
घ) अन्य	d) Others	1178	1654	3334
iii) सामान्य सेवाएं और अनावंटनीय मदें	iii) General Services and unallocable items	2783	3745	4515
2. निर्माण कार्य भंडारों में परिवर्तन	2. Changes in works stores	734	772	751
3. वित्तीय सहायता	3. Financial Assistance	55085	57868	69133
क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता	A. Financial assistance to States and Union Territories	37254	39768	46897
i) सामाजिक और आर्थिक सेवाएं	i) Social and Economic Services	37147	39613	46711
ii) सामान्य सेवाएं और अनावंटनीय मदें	ii) General Services and unallocable items	107	155	186
ख) गैर-विभागीय उपक्रमों और अन्य पार्टियों को वित्तीय सहायता	B. Financial assistance to non-departmental undertakings and other parties	17831	18100	22236
i) सामाजिक सेवाएं	i) Social Services	8525	8481	8713
ii) आर्थिक सेवाएं	ii) Economic Services	7599	7999	11885
क) कृषि	a) Agriculture	975	929	1178
ख) उद्योग	b) Industry	3740	4265	5383
ग) परिवहन और संचार	c) Transport and Communications	3354	2663	3153
घ) अन्य	d) Others	-471	143	2171
iii) सामान्य सेवाएं और अनावंटनीय मदें	iii) General Services and unallocable items	1707	1620	1638
4. पूँजी निर्माण के लिए कुल व्यवस्था (1+2+3)	4. Total Provision for Capital formation (1+2+3)	76782	83180	99222

विकास के वित्त प्रबंध के लिए उपलब्ध चालू राजस्व का अधिशेष

22. विकास से भिन्न चालू व्यय के मुकाबले चालू राजस्व का अधिशेष सरकार के विकास संबंधी चालू और पूँजीगत दोनों प्रकार के खर्च की वित्त व्यवस्था करने के लिए चालू राजस्व से किए जाने वाले अंश का परिचायक होता है। अनुमान है, 2004-05(ब.अ.) में इस अधिशेष की रकम 20311 करोड़ रुपए होगी जबकि इसकी तुलना में 2003-04 (सं.अ.) और 2002-03 के अधिशेष की रकम क्रमशः 5220 करोड़ रुपए और (-)5853 करोड़ रुपए थी। नीचे की सारणी में ब्यौरा दिया गया है।

Surplus of current revenues available for financing development

22. The surplus of current revenues over the current non-developmental expenditure measures the contribution of current revenues towards financing the Government's developmental expenditure, both current and capital. This surplus is estimated at Rs. 20311 crore for 2004-05(BE) and compared with the estimated surplus of Rs. 5220 crore for 2003-04 (RE) and Rs. (-)5853 crores for 2002-03. The table below sets forth the details.

केन्द्रीय सरकार का अधिशेष *Surplus of the Central Government*

		(करोड़ रुपए) (Rs. Crore)		
		2002-03 वास्तविक Accounts	2003-04 संशोधित Revised	2004-05 बजट Budget
1. सरकारी प्रशासन का कुल चालू राजस्व	1. Total current revenues of Government Administration	228578	259113	303769
2. विकास-भिन्न स्वपत व्यय-सामान्य सेवाएं	2. Non-Developmental Consumption Expenditure-General Services	73395	81547	101219
3. विकास-भिन्न चालू अन्तरण	3. Non-Developmental Current Transfers	164614	175350	185188
i) सामान्य सेवाएं	i) General Services	2012	2531	2829
ii) अनावंटनीय	ii) Unallocable	162602	172818	182359
4. सरकारी प्रशासन का अधिशेष (1-2-3)	4. Surplus of the Government Administration (1-2-3)	-9432	2216	17362
5. विभागीय उपक्रमों की सकल बचत	5. Gross Savings of the Departmental Undertakings	3579	3004	2949
6. कुल अधिशेष (4+5)	6. Total Surplus (4+5)	-5853	5220	20311

आर्थिक और कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण : ECONOMIC-CUM-FUNCTIONAL CLASSIFICATION :														2002-03 (वास्तविक) 2002-03 (ACTUAL)		(करोड़ रुपए Rs. crore)	
		कार्य संबंधी Functional	सामान्य सेवाएं General Services		सामाजिक और आर्थिक सेवाएं Social and Economic Services												
			रक्षा से भिन्न सेवाएं Services other than Defence	रक्षा सेवाएं Defence Services	शिक्षा Educa- tion	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य Medical & Public Health	अन्य सामाजिक सेवाएं Other Social Services	कृषि Agri- culture	उद्योग Industry	परिवहन और संचार Transport & Commu- nication	अन्य आर्थिक सेवाएं Other Economic Services	एकमुश्त अनुदान और उधार Block Grants & Loans	अना- वंटनीय Unallo- cable	जोड़ Total			
आर्थिक		Economic	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1. खपत संबंधी व्यय	1. Consumption Expenditure	17827.3	55567.9	4528.0	898.4	1067.1	796.1	1935.4	275.3	2493.6	-	-	85389.1				
2. अंतरण अदायगियां	2. Transfer Payments	2012.2	-	4673.1	5420.4	11602.1	13961.0	10217.8	2448.1	5980.8	9690.8	162495.0	228501.3				
(i) व्याज	(i) Interest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114802.6	114802.6				
(ii) अनुदान	(ii) Grants	1079.4	-	4620.7	5418.4	11310.9	2516.3	3900.0	1005.5	2368.5	9690.8	11449.0	53359.5				
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(a) To States and Union Territories	891.6	-	140.0	3479.0	1324.5	-	5.3	535.4	100.9	9690.8	11449.0	27616.5				
(ख) स्थानीय निकायों को	(b) To Local Authorities	8.7	-	13.4	0.4	132.7	3.0	1.2	0.6	-	-	-	160.0				
(ग) अन्य को	(c) To Others	179.1	-	4467.3	1939.0	9853.7	2513.3	3893.5	469.5	2267.6	-	-	25583.0				
(iii) अन्य चालू अन्तरण	(iii) Other Current Transfers	932.8	-	52.4	2.0	291.2	11444.7	6317.8	1442.6	3612.3	-	36243.4	60339.2				
(क) आर्थिक सहायता	(a) Subsidies	3.7	-	-	-	16.3	11444.1	6311.6	1442.6	705.3		24176.0	44099.6				
(ख) ऋण राहत	(b) Debt Relief	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
(ग) पेंशनें	(c) Pensions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12027.8	12027.8				
(घ) अन्य	(d) Others	929.1	-	52.4	2.0	274.9	0.6	6.2	-	2907.0	-	39.6	4211.8				
3. सकल पूंजी निर्माण	3. Gross Capital Formation	2747.2	-	29.7	84.0	616.0	236.6	2023.1	14783.8	1176.8	-	-	21697.2				
(i) सकल स्थिर पूंजी निर्माण	(i) Gross Fixed Capital Formation	2782.6	-	29.7	97.5	616.8	236.5	1389.3	14632.8	1178.2	-	-	20963.4				
(ii) भंडार	(ii) Stocks	-35.4	-	-	-13.5	-0.8	0.1	633.8	151.0	-1.4	-	-	733.8				
4. पूंजी अन्तरण	4. Capital Transfers	1707.0	-	189.6	2.1	10099.3	1858.9	437.6	3235.5	21.0	9690.8	2163.8	29405.6				
(i) पूंजी निर्माण के लिए अनुदान	(i) Grants for Capital Formation	1707.0	-	189.6	2.1	10099.3	1858.9	437.6	3235.5	21.0	9690.8	-	27241.8				
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(a) To States and Union Territories	107.0	-	189.6	2.1	3693.5	1035.7	76.8	735.5	19.3	9690.8	-	15550.3				
(ख) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(b) To Non-departmental commercial undertakings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
(ग) स्थानीय प्राधिकरणों को	(c) To Local Authorities	1600.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1600.0				
(घ) अन्य को	(d) To Others	-	-	-	-	6405.8	823.2	360.8	2500.0	1.7	-	-	10091.5				
(ii) अन्य पूंजी अन्तरण	(ii) Other Capital Transfers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2163.8	2163.8				
5. शेयरों में निवेश	5. Investment in Shares	96.8	-	-	4.0	536.5	34.5	2863.7	110.8	-1491.2	-	-	2155.1				
(i) सरकारी कम्पनियों का	(i) Of Government Companies	96.8	-	-	4.0	535.9	33.9	2863.6	110.8	-1491.5	-	-	2153.5				
(क) वित्तीय प्रतिष्ठान	(a) Financial Concerns	-	-	-	-	177.6	1.4	2.6	-	-1541.5	-	-	-1359.9				
(ख) अन्य	(b) Others	96.8	-	-	4.0	358.3	32.5	2861.0	110.8	50.0	-	-	3513.4				
(ii) अन्य प्रतिष्ठानों को	(ii) Of Other Concerns	-	-	-	-	0.6	0.6	0.1	-	0.3	-	-	1.6				
6. पूंजी निर्माण के लिए उधार	6. Loans for Capital Formation	10.5	-	-	-	1579.0	227.3	516.2	825.9	1078.9	21450.0	-	25687.8				
(i) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(i) To States and Union Territories	-	-	-	-	-	109.7	0.4	82.5	60.6	21450.0	-	21703.2				
(ii) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(ii) To Non-departmental Commercial Undertakings	-	-	-	-	229.0	28.0	513.4	743.4	1018.3	-	-	2532.1				
(क) वित्तीय प्रतिष्ठान	(a) Financial Concerns	-	-	-	-	-	27.0	484.0	16.8	1018.3	-	-	1546.1				
(ख) अन्य	(b) Others	-	-	-	-	229.0	1.0	29.4	726.6	-	-	-	986.0				
(iii) स्थानीय प्राधिकरण को	(iii) To Local Authorities	-	-	-	-	1350.0	-	-	-	-	-	-	1350.0				
(iv) अन्य को	(iv) To Others	10.5	-	-	-	-	89.6	2.4	-	-	-	-	102.5				
7. अन्य उधार	7. Other loans	359.9	-	-	-	113.5	2.6	2252.3	330.0	56.6	-	2864.7	5979.6				
(i) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(i) To States and Union Territories	359.9	-	-	-	8.0	1.8	-	-	-	-	2058.7	2428.4				
(ii) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(ii) To Non-departmental Commercial Undertakings	-	-	-	-	-	-	2251.9	330.0	38.7	-	-	2620.6				
(iii) विदेशी सरकारों को	(iii) To Foreign Governments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	806.0	806.0				
(iv) स्थानीय प्राधिकरण को	(iv) To Local Authorities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
(v) अन्य को	(v) To Others	-	-	-	-	105.5	0.8	0.4	-	17.9	-	-	124.6				
8. अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को अभिदान	8. Subscription to International Financial Organisations	62.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.9				
9. सोने और चांदी की निवल खरीद जोड़	9. Net Purchase of Gold and Silver	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3				
Total		24824.1	55567.9	9420.4	6408.9	25613.5	17117.0	20246.1	22009.4	9316.5	40831.6	167523.5	398878.9				

आर्थिक और कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण : ECONOMIC-CUM-FUNCTIONAL CLASSIFICATION :													2003-04 (संशोधित अनुमान) 2003-04 (REVISED ESTIMATES)		(करोड़ रुपए Rs. crore)	
कार्य संबंधी Functional		सामान्य सेवाएं General Services			सामाजिक और आर्थिक सेवाएं Social and Economic Services											
		रक्षा से भिन्न सेवाएं Services other than Defence	रक्षा सेवाएं Defence Services	शिक्षा Educa- tion	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य Medical &Public Health	अन्य सामाजिक सेवाएं Other Social Services	कृषि Agri- culture	उद्योग Industry	परिवहन और संचार Transport &Commu- nication	अन्य आर्थिक सेवाएं Other Economic Services	एकमुश्त अनुदान और उधार Block Grants &loans	अना- वंटनीय Unallo- cable	जोड़ Total			
आर्थिक	Economic	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1. खपत संबंधी व्यय	1. Consumption Expenditure	21341.5	60205.9	5575.4	1017.3	1423.4	1590.0	1846.0	337.6	2380.7	-	-	95717.8			
2. अंतरण अदायगियां	2. Transfer Payments	2531.3	-	4856.0	5575.8	11159.6	14429.4	10267.7	2615.9	7871.8	10807.5	172731.8	242846.8			
(i) व्याज	(i) Interest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121189.0	121189.0			
(ii) अनुदान	(ii) Grants	1478.4	-	4796.2	5574.5	10750.9	2409.7	3157.0	903.3	6919.6	10807.5	13323.8	60120.9			
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(a) To States and Union Territories	1225.5	-	152.5	3263.0	1335.1	1.0	36.0	557.4	87.3	10807.5	13323.8	30789.1			
(ख) स्थानीय निकायों को	(b) To Local Authorities	10.5	-	16.4	0.6	152.5	4.0	0.2	1.9	1.1	-	-	187.2			
(ग) अन्य को	(c) To Others	242.4	-	4627.3	2310.9	9263.3	2404.7	3120.8	344.0	6831.2	-	-	29144.6			
(iii) अन्य चालू अन्तरण	(iii) Other Current Transfers	1052.9	-	59.8	1.3	408.7	12019.7	7110.7	1712.6	952.2	-	38219.0	61536.9			
(क) आर्थिक सहायता	(a) Subsidies	4.9	-	-	-	55.1	12018.7	7102.8	1712.6	841.7	-	25200.0	46935.8			
(ख) ऋण राहत	(b) Debt Relief	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
(ग) पेंशनें	(c) Pensions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12881.8	12881.8			
(घ) अन्य	(d) Others	1048.0	-	59.8	1.3	353.6	1.0	7.9		110.5	-	137.2	1719.3			
3. सकल पूंजी निर्माण	3. Gross Capital Formation	3763.0	-	29.1	70.5	754.2	244.1	1996.0	16802.6	1652.5	-	-	25312.0			
(i) सकल स्थिर पूंजी निर्माण	(i) Gross Fixed Capital Formation	3744.6	-	29.1	146.9	754.4	245.6	1515.7	16450.1	1653.5	-	-	24539.9			
(ii) भंडार	(ii) Stocks	18.4	-	-	-76.4	-0.2	-1.5	480.3	352.5	-1.0	-	-	772.1			
4. पूंजी अन्तरण	4. Capital Transfers	1666.5	-	147.7	17.5	10365.1	1732.8	478.9	2864.4	18.6	10807.5	2480.1	30579.1			
(i) पूंजी निर्माण के लिए अनुदान	(i) Grants for Capital Formation	1666.5	-	147.7	17.5	10365.1	1732.8	478.9	2864.4	18.6	10807.5	-	28099.0			
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(a) To States and Union Territories	86.5	-	147.7	16.8	3857.7	937.2	70.2	774.6	18.6	10807.5	-	16716.8			
(ख) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(b) To Non-departmental commercial undertakings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
(ग) स्थानीय प्राधिकरणों को	(c) To Local Authorities	1580.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1580.0			
(घ) अन्य को	(d) To Others	-	-	-	0.7	6507.4	795.6	408.7	2089.8	-	-	-	9802.2			
(ii) अन्य पूंजी अन्तरण	(ii) Other Capital Transfers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2480.1	2480.1			
5. शेयरों में निवेश	5. Investment in Shares	34.6	-	-	1.2	671.4	37.8	2659.5	547.5	100.3	-	-	4052.3			
(i) सरकारी कम्पनियों का	(i) Of Government Companies	34.6	-	-	1.2	670.1	37.5	2659.4	547.5	99.9	-	-	4050.2			
(क) वित्तीय प्रतिष्ठान	(a) Financial Concerns	-	-	-	-	342.9	2.5	320.9	-	39.9	-	-	706.2			
(ख) अन्य	(b) Others	34.6	-	-	1.2	327.2	35.0	2338.5	547.5	60.0	-	-	3344.0			
(ii) अन्य प्रतिष्ठानों को	(ii) Of Other Concerns	-	-	-	-	1.3	0.3	0.1	-	0.4	-	-	2.1			
6. पूंजी निर्माण के लिए उधार	6. Loans for Capital Formation	5.0	-	-	-	1300.0	203.6	1197.3	109.0	43.1	22790.4	68.0	25716.4			
(i) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(i) To States and Union Territories	-	-	-	-	-	108.4	0.7	83.6	-	22790.4	68.0	23051.1			
(ii) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(ii) To Non-departmental Commercial Undertakings	-	-	-	-	70.0	22.7	1195.1	25.4	43.1	-	-	1356.3			
(क) वित्तीय प्रतिष्ठान	(a) Financial Concerns	-	-	-	-	-	15.5	1168.3	11.0	43.1	-	-	1237.9			
(ख) अन्य	(b) Others	-	-	-	-	70.0	7.2	26.8	14.4	-	-	-	118.4			
(iii) स्थानीय प्राधिकरण को	(iii) To Local Authorities	-	-	-	-	1230.0	-	-	-	-	-	-	1230.0			
(iv) अन्य को	(iv) To Others	5.0	-	-	-	-	72.5	1.5	-	-	-	-	79.0			
7. अन्य उधार	7. Other loans	26.5	-	-	-	186.3	81.1	1563.5	296.0	31.7	-	591.0	2776.1			
(i) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(i) To States and Union Territories	26.5	-	-	-	9.0	75.1	-	-	-	-	10.0	120.6			
(ii) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(ii) To Non-departmental Commercial Undertakings	-	-	-	-	-	-	1562.9	296.0	7.5	-	-	1866.4			
(iii) विदेशी सरकारों को	(iii) To Foreign Governments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581.0	581.0			
(iv) स्थानीय प्राधिकरण को	(iv) To Local Authorities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
(v) अन्य को	(v) To Others	-	-	-	-	177.3	6.0	0.6	-	24.2	-	-	208.1			
8. अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को अभिदान	8. Subscription to International Financial Organisations	2689.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2689.8			
9. सोने और चांदी की निवल खरीद जोड़	9. Net Purchase of Gold and Silver	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2			
	Total	32058.4	60205.9	10608.2	6682.3	25860.0	18318.8	20008.9	23573.0	12098.7	44405.4	175870.9	429690.5			

आर्थिक और कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण : ECONOMIC-CUM-FUNCTIONAL CLASSIFICATION :					2004-05 (बजट अनुमान) 2004-05 (BUDGET ESTIMATES)					(करोड़ रुपए Rs. crore)			
कार्य संबंधी Functional		सामान्य सेवाएं General Services		सामाजिक और आर्थिक सेवाएं Social and Economic Services									
		रक्षा से भिन्न सेवाएं Services other than Defence	रक्षा सेवाएं Defence Services	शिक्षा Educa- tion	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य Medical & Public Health	अन्य सामाजिक सेवाएं Other Social Services	कृषि Agri- culture	उद्योग Industry	परिवहन और संचार Transport & Commu- nication	अन्य आर्थिक सेवाएं Other Economic Services	एकमुश्त अनुदान और उधार Block Grants & Loans	अना- वंटनीय Unallo- cable	जोड़ Total
आर्थिक	Economic	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. खपत संबंधी व्यय	1. Consumption Expenditure	24318.7	76900.0	5985.6	1154.2	1770.0	1123.6	2033.4	341.3	7074.0	-	-	120700.8
2. अंतरण अदायगियां	2. Transfer Payments	2829.0	-	5198.9	6459.5	7238.7	17621.6	8303.6	2797.9	5284.8	13166.8	182240.5	251141.3
(i) व्याज	(i) Interest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125773.9	125773.9
(ii) अनुदान	(ii) Grants	1638.6	-	5128.3	6458.1	6710.4	4229.3	4133.6	961.0	4292.9	13166.8	17324.4	64043.4
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(a) To States and Union Territories	1087.7	-	351.2	3720.8	1418.7	25.0	79.6	587.5	156.9	13166.8	17324.4	37918.6
(ख) स्थानीय निकायों को	(b) To Local Authorities	10.5	-	17.7	0.6	171.4	4.3	0.7	0.8	1.1	-	-	207.1
(ग) अन्य को	(c) To Others	540.4	-	4759.4	2736.7	5120.3	4200.0	4053.3	372.7	4134.9	-	-	25917.7
(iii) अन्य चालू अन्तरण	(iii) Other Current Transfers	1190.4	-	70.6	1.4	528.3	13392.3	4170.0	1836.9	991.9	-	39142.2	61324.0
(क) आर्थिक सहायता	(a) Subsidies	5.0	-	-	-	158.1	13390.9	4157.8	1836.9	982.8	-	25800.0	46331.5
(ख) ऋण राहत	(b) Debt Relief	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) पेंशनें	(c) Pensions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13202.6	13202.6
(घ) अन्य	(d) Others	1185.4	-	70.6	1.4	370.2	1.4	12.2		9.1	-	139.6	1789.9
3. सकल पूंजी निर्माण	3. Gross Capital Formation	4653.6	-	30.0	118.9	847.6	249.7	2494.6	18360.1	3334.1	-	-	30088.6
(i) सकल स्थिर पूंजी निर्माण	(i) Gross Fixed Capital Formation	4514.9	-	30.0	170.2	847.8	252.1	2102.6	18085.7	3334.3	-	-	29337.6
(ii) भंडार	(ii) Stocks	138.7	-	-	-51.3	-0.2	-2.4	392.0	274.4	-0.2	-	-	751.0
4. पूंजी अन्तरण	4. Capital Transfers	1698.0	-	198.7	19.6	11388.2	2431.6	604.3	3167.9	1793.1	13166.9	2723.2	37191.5
(i) पूंजी निर्माण के लिए अनुदान	(i) Grants for Capital Formation	1698.0	-	198.7	19.6	11388.2	2431.6	604.3	3167.9	1793.1	13166.9	-	34468.3
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(a) To States and Union Territories	118.0	-	198.7	18.9	3749.9	1376.6	48.6	904.0	18.1	13166.9	-	19599.7
(ख) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(b) To Non-departmental commercial undertakings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) स्थानीय प्राधिकरणों को	(c) To Local Authorities	1580.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1580.0
(घ) अन्य को	(d) To Others	-	-	-	0.7	7638.3	1055.0	555.7	2263.9	1775.0	-	-	13288.6
(ii) अन्य पूंजी अन्तरण	(ii) Other Capital Transfers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2723.2	2723.2
5. शेयरों में निवेश	5. Investment in Shares	53.5	-	-	2.0	621.5	40.3	3491.1	766.5	350.4	-	-	5325.3
(i) सरकारी कम्पनियों का	(i) Of Government Companies	53.5	-	-	2.0	620.4	39.9	3491.0	766.5	350.0	-	-	5323.3
(क) वित्तीय प्रतिष्ठान	(a) Financial Concerns	-	-	-	-	205.6				250.0	-	-	455.6
(ख) अन्य	(b) Others	53.5	-	-	2.0	414.8	39.9	3491.0	766.5	100.0	-	-	4867.7
(ii) अन्य प्रतिष्ठानों को	(ii) Of Other Concerns	-	-	-	-	1.1	0.4	0.1		0.4	-	-	2.0
6. पूंजी निर्माण के लिए उधार	6. Loans for Capital Formation	4.6	-	-	-	450.5	204.8	1337.0	221.0	46.0	27007.6	68.0	29339.5
(i) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(i) To States and Union Territories	-	-	-	-	-	122.4	0.5	98.5		27007.6	68.0	27297.0
(ii) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(ii) To Non-departmental Commercial Undertakings	-	-	-	-	169.5	20.5	1335.0	122.5	46.0	-	-	1693.5
(क) वित्तीय प्रतिष्ठान	(a) Financial Concerns	-	-	-	-	-	15.8	785.5	15.0	46.0	-	-	862.3
(ख) अन्य	(b) Others	-	-	-	-	169.5	4.7	549.5	107.5	-	-	-	831.2
(iii) स्थानीय प्राधिकरण को	(iii) To Local Authorities	-	-	-	-	281.0	-	-	-	-	-	-	281.0
(iv) अन्य को	(iv) To Others	4.6	-	-	-	-	61.9	1.5	-	-	-	-	68.0
7. अन्य उधार	7. Other loans	16.0	-	-	-	86.4	14.1	1061.4	642.0	2.5	-	455.6	2278.0
(i) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(i) To States and Union Territories	16.0	-	-	-	9.1	3.0	-	-	-	-	31.2	59.3
(ii) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(ii) To Non-departmental Commercial Undertakings	-	-	-	-	-	10.0	1061.0	642.0	0.5	-	-	1713.5
(iii) विदेशी सरकारों को	(iii) To Foreign Governments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424.4	424.4
(iv) स्थानीय प्राधिकरण को	(iv) To Local Authorities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) अन्य को	(v) To Others	-	-	-	-	77.3	1.1	0.4	-	2.0	-	-	80.8
8. अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को अभिदान	8. Subscription to International Financial Organisations	105.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.8
9. सोने और चांदी की निवल खरीद जोड़	9. Net Purchase of Gold and Silver Total	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
		33679.4	76900.0	11413.2	7754.2	22402.9	21685.7	19325.4	26296.7	17884.9	53341.3	185487.3	476171.0

परिशिष्ट

केन्द्रीय सरकार के बजट के आर्थिक और कार्य
सम्बन्धी वर्गीकरण में मदों की परिभाषा और
उनकी व्युत्पत्ति पर टिप्पणियां

क. आर्थिक वर्गीकरण

इस पुस्तिका में प्रस्तुत आर्थिक वर्गीकरण का ढांचा 6 विवरणों (स्वातंत्र्य) में केन्द्रीय सरकार के लेन-देनों की रूपरेखा पर आधारित है। इन विवरणों में प्रत्येक विवरण की व्युत्पत्ति का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:

विवरण 1: *वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण: सरकारी प्रशासन का चालू खाता*

इस विवरण का संबंध व्यय पक्ष में सरकार के स्वयं संबंधी व्यय और चालू अन्तरण अदायगियों से है। प्राप्ति पक्ष में, इस विवरण में कर-प्राप्तियों, सरकारी सम्पत्ति और उद्यमों से आय और शुल्क तथा विविध प्राप्तिओं को दिखाया जाता है। स्वयं संबंधी व्यय से चालू राजस्व के आधिक्य से उत्पन्न शेष तथा चालू अन्तरण अदायगियां केन्द्रीय सरकार के प्रशासन में बचत की सूचक होती हैं और वाणिज्यिक उपक्रमों की बचतों को मिलाकर यह पूंजी निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार की बचत की द्योतक होती है।

मद 1 : *स्वयं संबंधी व्यय :* सरकार के स्वयं संबंधी व्यय में कर्मचारियों को अदा की गई मजदूरी और वेतन तथा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर हुआ चालू व्यय शामिल है। इससे सरकार के मौजूदा विकास संबंधी तथा विकास-भिन्न प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं और उपयोग किए गए अन्य तत्वों की उपलब्ध मात्रा के मूल्य का पता चलता है।

मद 1.1 : *मजदूरी और वेतन :* मजदूरी और वेतन की राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा अदा की गई मजदूरी और वेतन के रूप में उत्पन्न आय के अनुमानों की द्योतक है। असेनिक विभागों द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्तों (जिनमें मंहगाई भत्ते और नगर प्रतिकर भत्ते की अदायगी शामिल है, परन्तु यात्रा भत्ते शामिल नहीं है) और मानदेय के रूप में वास्तविक अदायगियों के अलावा, इस मद में रक्षा कर्मचारियों की मजदूरी और वेतन, जिसमें किट और वस्त्र भत्ता तथा रक्षा कर्मचारियों के लिए दिया जाने वाला अन्न भी शामिल है, रक्षा पूंजी परिचय के मजदूरी और वेतन का अंश और मरम्मत और अनुरक्षण तथा प्रशासनिक विभागों द्वारा रखे गए नैमित्तिक मजदूरों को मजदूरी की अदायगियां भी शामिल हैं, रक्षा संबंधी पूंजी परिचय के मजदूरी और वेतन अंश का अनुमान लगाते समय निर्माण-कार्यों के व्यय के एक तिहाई अंश को मजदूरी और वेतन माना जाता है और दो-तिहाई अंश को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर होने वाला व्यय माना जाता है। मरम्मत और अनुरक्षण तथा एकमुश्त व्यवस्था के अन्तर्गत व्यय को 50:50 के अनुपात में मजदूरी और वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए निर्धारित कर दिया जाता है, क्योंकि आवश्यक आंकड़े अलग-अलग उपलब्ध नहीं हैं।

मद 1.2 : *वस्तुएं और सेवाएं :* वस्तुओं और सेवाओं की मद में अन्य व्यय शीर्षक के अधीन होने वाले व्यय शामिल हैं। बजट में की गई इकट्ठी व्यवस्था को वस्तुओं और सेवाओं तथा मजदूरी और वेतन में 50:50 के अनुपात में बांट दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को इसी प्रकार की जाने वाली अदायगियों को सेवाओं की खरीद के रूप में मान लिया जाता है। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने की स्वीकृत प्रक्रिया के अनुरूप रक्षा संबंधी पूंजी परिचय को चालू व्यय के रूप में मान लिया जाता है। निर्माण-कार्यों, पर हुए व्यय के एक-तिहाई अंश को छोड़कर,

APPENDIX

Notes on definition and derivation of items in the
Economic-cum-Functional Classification of the
Central Government Budget

A. Economic Classification

The framework of economic classification presented in the brochure is based on the delineation of Central Government transactions in a set of six accounts. The following is briefly a description of the derivation of items in each of these accounts.

Account 1: *Transactions in commodities and services and transfers : Current Account of Government Administration*

This account is concerned, on the expenditure side, with the Government's consumption expenditure and current transfer payments; on receipt side, it indicates tax receipts, income from Government property and enterprises and fees and miscellaneous receipts. The surplus arising out of the excess of current revenue over expenditure on consumption and current transfer payment denotes the saving of the Central Government administration and together with savings of the commercial undertakings constitutes the saving of the Central Government available for capital formation.

Item 1: *Consumption Expenditure :* The Government's consumption expenditure comprises wages and salaries paid to employees and current expenditure incurred on purchases of commodities and services. This indicates the value of the available supplies of goods and factors drawn into the Government's current use, for developmental as well as non-developmental purposes.

Item 1.1: *Wages and Salaries :* This denotes the estimates of income generated in the form of wages and salaries paid by the Central Government. Besides actual payments by the civil departments in the form of pay of officers and staff, allowances (including dearness allowance and city compensatory allowance but excluding travelling allowances) and honoraria, this item includes wages and salaries of the defence personnel including kit and clothing allowance and foodgrains provided to defence personnel, wages and salaries component of defence capital outlay and of repairs and maintenance' and also wage payments to casual labour employed by administrative departments. In estimating the wages and salaries component of defence capital outlay, one-third of the works expenditure is treated as wages and salaries and two-thirds as purchase of commodities and services. The expenditure under repairs and maintenance' as well as under lump sum provision' has been allocated in the ratio of 50:50 between wages and salaries and purchase of commodities and services since the required breakup is not available.

Item 1.2: *Commodities and Services:* This includes expenditures under the head 'other charges'. Lump sum provisions' in the budget have been broken down into expenditure on commodities and services and wages and salaries in the ratio of 50:50. Contributions to the U.N. and similar payments to other international organisations are treated as purchases of services. Also in conformity with the accepted procedure of national income estimation, defence capital outlay has been treated as

जिसे मजदूरी और वेतन माना जाता है, रक्षा पर पूंजी परिव्यय की बाकी राशि यहां दिखाई जाती है।

मद 2 : अन्तरण अदायगियां : ये व्यय माल और सेवाओं की प्रत्यक्ष मांग के द्योतक नहीं होते, ये तो अन्य मदों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से केवल अन्तरणों के रूप में होते हैं। वर्तमान विश्लेषण में चालू अन्तरणों और पूंजीगत अन्तरणों में अन्तर की परिकल्पना इस आधार पर की गई है कि जहां चालू अन्तरणों से प्राप्तिकर्ताओं के आय स्वातों में रकमों की वृद्धि हो जाती है, वहां पूंजीगत अन्तरणों का उद्देश्य पूंजीगत व्यय में सहायता देना होता है। यहां केवल चालू अन्तरणों को दिखाया गया है। इनमें ब्याज की अदायगियां, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, स्थानीय प्राधिकरणों और लाभ न कमाने वाली संस्थाओं को चालू अनुदान, आर्थिक सहायता, पेशानें और अन्यो को अन्तरण अदायगियां शामिल हैं।

मद 2.1 : राष्ट्रीय कर्जों पर ब्याज की अदायगी को कई बार सरकार की चालू अन्तरण प्राप्तियों में से घटाकर दिखाया जाता है, परन्तु इन अदायगियों को यहां सकल रूप में दिखाया गया है। ब्याज में राष्ट्रीय कर्जों पर ब्याज भी शामिल है परन्तु विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों पर भारित ब्याज इसमें शामिल नहीं है। विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों पर भारित ब्याज को विवरण 2 में जो इन उपक्रमों का चालू स्वाता है, दिखाया गया है।

मद 2.2 : अनुदानों में सांविधिक अनुदान तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी अन्य आयोजना-भिन्न और आयोजना अनुदान शामिल हैं, पर इसमें वे अनुदान शामिल नहीं हैं, जिनका उद्देश्य पूंजी निर्माण में सहायता पहुंचाना है (जैसे, ग्रामीण निर्माण कार्य, भूमि-संरक्षण, वन, लघु सिंचाई कार्य आदि के लिए अनुदान)। विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर किया जाने वाला व्यय भी, जो राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से किया गया है यहां दिखाया गया है। चौथी आयोजना के शुरू से राज्यों और राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता एकमुश्त अनुदानों और एकमुश्त ऋणों के रूप में दी जाती है। इस विश्लेषण में एकमुश्त अनुदानों को चालू और पूंजीगत अनुदानों के बीच 50:50 के अनुपात में निर्धारित किया गया है। उप-मद अन्य को अनुदान में मुख्यतः संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान शामिल हैं और इन संस्थाओं में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसी सरकारी क्षेत्र की संस्थाएं भी शामिल हैं।

मद 2.3 : अन्य चालू अन्तरणों में ये शामिल हैं : आर्थिक सहायता प्राप्त असैनिक और सैनिक पेंशनों और व्यक्तियों को किए गए अन्य चालू अन्तरण जैसे छात्रवृत्तियां, वृत्तिकार्यें, इनाम, अकाल और अन्य सहायता संबंधी अदायगियां। इस मद में प्रत्यक्ष रूप से विस्थापित व्यक्तियों पर हुआ सहायता व्यय (राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से किए गए व्यय से भिन्न) भी शामिल है। इस वर्गीकरण में पेंशन संबंधी अदायगियों को अन्तरण अदायगी के रूप में माना गया है। यद्यपि पेंशन को एक अन्य प्रकार से, अर्थात् आस्थगित वेतन के रूप में माना जा सकता है, परन्तु पेंशनों को अन्तरण के रूप में मानना इस आधार पर सरल और तर्कसंगत है कि पेंशन वाले सेवा-निवृत्त कर्मचारियों से अर्थव्यवस्था के चालू उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है।

मद 6 : सरकार की चालू और पूंजी स्वाते की अंतरण प्राप्तियों (अर्थात् करों) के बीच का अन्तर चालू और पूंजी स्वाते की अन्तरण अदायगियों के बीच के अंतर की तरह, इस परिकल्पना पर आधारित है कि सरकार की चालू अन्तरण प्राप्तियां आय से की गई अदायगियां हैं जबकि पूंजीगत प्रतियां पूंजी से की गई अदायगियां होती हैं। इस भिन्नता के आधार पर संपदा-शुल्क और दान-कर पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में माने जाते और इन्हें 1982-83 तक यहां पर नहीं दिखाया जाता था। तथापि राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के संग्रह और राष्ट्रीय लेखों के संकलन और विश्लेषण की सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार, यह भेद राजकोषीय वर्ष 1983-84 (वास्तविक) से समाप्त कर दिया गया है।

करों की प्राप्तियों की राशि, यहां राज्यों के हिस्से और स्थानीय प्राधिकरणों को अन्तरित करों को घटा कर दिखाई गई है।

current expenditure. Except for one-third of the works expenditure which is treated as wages and salaries, the rest of capital outlay on defence appears here.

Item 2: Transfer Payments: These expenditures do not involve direct demand on goods and services; they are of the nature of mere transfers intended to add to incomes of others. In the present analysis, a distinction has been drawn between current transfers and capital transfers on the hypothesis that while current transfers supplement the income accounts of recipients, capital transfers are intended to assist capital expenditure. Current transfers alone appear here; these comprise interest payments, current grants to States, Union Territories, local authorities and non-profit making institutions, subsidies, pensions and transfer payments to others.

Item 2.1 : Interest Payments on the national debt are sometimes treated as a deduction from the current (transfer) receipts of Government, but these payments have been shown here on a gross basis. Interest comprises interest on the national debt excluding interest charged to departmental commercial undertakings. Interest charged to departmental commercial undertakings appear in Account 2, the current account of these undertakings.

Item 2.2: Grants include statutory grants, as well as all other non-plan and plan grants to States and Union Territories excepting those which are intended to assist capital formation (e.g. grants for rural works, soil conservation, forests, minor irrigation etc.). The expenditure on rehabilitation of displaced persons routed through State Governments and Union Territories also appears here. Starting with the Fourth Plan, the Central assistance to States and Union Territories is being given in the form of block grants and block loans; in this analysis, block grants have been allocated between current and capital grants in the ratio of 50:50. The sub-item grants to others' comprises grants mainly to institutions and these include grants to public sector institutions, like Council of Scientific and Industrial Research, Indian Council of Agricultural Research, and University Grants Commission.

Item 2.3: Other current transfers include subsidies, pensions-civil and defence and other current transfers to individuals like scholarships, stipends, prizes, famine and other relief payments. This item also includes relief expenditure (i.e. other than that routed through State Governments and Union Territories) incurred directly on displaced persons. Pension payments have been treated in the present classification as a transfer payment. While an alternative treatment of pensions as deferred pay is possible, the treatment of pensions as transfers is simpler and justifiable on the ground that no increase in current output accrues to the economy from retired personnel receiving pensions.

Item 6: The distinction between transfer receipts (i.e. taxes) of Government on current and capital account - like the distinction between transfer payments on current and capital account - rests on the hypothesis that Government's current transfer receipts constitute payments out of income, while capital receipts constitute payments out of capital. Based on this distinction, estate duty and gift tax were treated as capital receipts and did not appear here until 1982-83. However, following the recommendations made by the Advisory Committee on collection of data for National Income and Compilation and Analysis of National Accounts, this distinction has been done away with starting from the fiscal year 1983-84 (Accounts).

Tax receipts shown here are net of the States' share and taxes transferred to local authorities.

आय और सम्पत्ति पर करों की मद में आय-कर, निगम कर, धन-कर, संपदा शुल्क, दान-कर और भू-राजस्व (संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में) और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ब्याज प्राप्तियों पर कर शामिल है। वस्तुओं और लेन देनों पर कर में संघ उत्पाद शुल्क, (जिसमें राज्यों का हिस्सा शामिल नहीं है) सीमा शुल्क, उपयोगी वस्तुओं पर उपकर और विदेश यात्रा पर कर और बिक्री कर, पंजीकरण फीस, स्टाम्प शुल्क आदि (संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में) भी शामिल है।

मद 7 : सम्पत्ति और उद्यमों से आय : इस मद में, प्रशासन को अन्तरित विभागीय और गैर विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लाभ और भारतीय रिजर्व बैंक के लाभ शामिल हैं। इसमें शामिल ब्याज की प्राप्ति मुख्यतः राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों और गैर विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से प्राप्त ब्याज की है। विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से प्राप्त ब्याज को इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उन उपक्रमों पर भारत ब्याज विवरण 2 में दिखाई गई व्यय की मद है, विवरण 1 में नहीं। अन्यो में किराये की प्राप्ति और लोक निर्माण कार्यों से प्राप्ति और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के द्वारा देय कच्चे तेल और गैस पर रायल्टी भी शामिल है।

मद 8 : फीस और विविध प्राप्ति : इसमें वाणिज्यिक आधार पर संगठित न की गई फीस पर दी गई सेवाओं के लिए सरकारी विभागों की प्रशासनिक प्राप्ति शामिल हैं।

विवरण 2 : वस्तुओं और सेवाओं का लेन-देन तथा अन्तरण: विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का चालू खाता

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्य जो बजट में दिखाये गये हैं, सरकार की उद्यमकारी गतिविधियों के रूप में हैं। इन उपक्रमों के चालू व्यय उत्पादनशील उद्यमों के कार्यचालन व्यय के समान उस मध्यवर्ती व्यय के द्योतक हैं जो माल तथा सेवाओं के मूल्यों में शामिल किए जाते हैं और जिन्हें अर्थ-व्यवस्था के दूसरे वर्गों को बेचा जाता है। अतः वह प्रशासनिक विभागों के अन्तिम परिव्यय के रूप में भिन्न होते हैं। इसी प्रकार वाणिज्यिक उपक्रमों की बिक्री से प्राप्त आय केवल प्रशासनिक विभागों की प्राप्ति (अर्थात् करों) से, जो उनकी अपनी आय नहीं होती है और व्यय को पूरा करने के लिए अन्य क्षेत्रों की आयों से ली जाती है, भिन्न होती है। अतः इस विवरण में सामान्यतया विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का लाभ और हानि का लेखा दिया जाता है और यह विवरण 1 के स्वरूप से भिन्न होता है।

स्वतंत्र कम्पनियों या निगमों के रूप में संचालित सरकारी उद्यमों के लेन-देनों को इस विवरण में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यहां प्रस्तुत किया गया आर्थिक वर्गीकरण उपक्रमों अनुदानों की मांगों और बजट के विस्तार के संबंध में है। अतः यह विवरण केवल उन वाणिज्यिक उपक्रमों से संबंधित है जो विभागीय तौर पर चलाये जा रहे हैं और इनमें ये उपक्रम शामिल हैं:- रेलवे, डाक, अफीम की फैक्ट्रियां और एलक्लायड के कारखाने, परिवहन योजनाएं, परमाणु बिजलीघर सहित विद्युत परियोजनाएं, वन और दिल्ली दुग्ध योजना। किन्तु 1972-73 से वर्गीकरण में एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है जिसके अनुसार रेल की कर्मशालाओं और उत्पादन एककों (चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री) के निर्माण संबंधी कार्यों को इसके अन्तर्गत ले लिया गया है। 1977-78 से लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर रक्षा सेवाएं, कैन्टीन भण्डार विभाग के कार्यचालन को भी इसमें शामिल कर लिया गया है क्योंकि इसके द्वारा किए गए लेन-देन बजट का एक अंग है। इसमें 1982-83 (वार-तविक) से प्रारम्भ करके परमाणु ऊर्जा औद्योगिक परियोजनाओं के कार्यचालन को भी शामिल किया गया है और 1983-84 (वास्तविक) से नागर विमानन, वाणिज्यिक प्रसारण सेवाओं, दीप स्तंभों और दीप-पोतों, और सिंचाई निर्माण कार्यों को भी वाणिज्यिक उपक्रम माना गया है।

Taxes on income and wealth include income tax, corporation tax, wealth tax, estate duty, gift tax, land revenue (in respect of Union Territories) and tax on interest receipts of scheduled commercial banks. Taxes on commodities and transactions include Union excise duties (excluding States' share), customs duties, cesses on commodities and tax on foreign travel and also sales tax, registration fees, stamp duties etc. (in respect of Union Territories).

Item 7: Income from property and enterprises: This item includes profits of departmental and non-departmental commercial undertakings transferred to administration as well as profits of the Reserve Bank of India. Interest receipts included here are mainly from States and Union Territories and non-departmental commercial undertakings. Interest received from departmental commercial undertakings is omitted since interest charged to these undertakings is an item of expenditure in Account 2 and not Account 1. Others' include rental income, receipts from public works and royalty payable by ONGC on crude oil and gas.

Item 8: Fees and miscellaneous receipts: These include administrative receipts of Government departments for services rendered for a fee not organised on a commercial basis.

Account 2: Transactions in commodities and services and transfers :Current Account of Departmental Commercial Undertakings

The operation of departmental commercial undertakings which figure in the budget, are of the nature of entrepreneurial activities of the Government. Current expenditure of these undertakings like working expenses of productive enterprises constitute intermediate expenditures that enter into the prices of goods and services as they are sold to other sectors of the economy. Therefore, they are different in character from final outlays by administrative departments. Likewise, sale proceeds of commercial undertakings are different from the receipts (e.g. taxes) of purely administrative departments which have no income of their own and draw upon incomes of other sectors to meet their expenditures. This account, therefore, sets out what is generally known as the profit and loss account of departmental commercial undertakings and is different in character from Account I.

The transactions of Government enterprises run as independent companies or corporations are not included in this Account, as the economic classification presented here pertains to the magnitudes in the Demands for Grants and the Budget. This account is, therefore, concerned only with those commercial undertakings which are run departmentally and include Railways, Posts, Opium factories and Alkaloid works, Transport Schemes, Power Projects including Atomic Power Stations, Forests and Delhi Milk Scheme. However, an important major change introduced since 1972-73 in the Classification relates to the inclusion of manufacturing activity of the Railway Workshops and production units (Chittaranjan Locomotive Works, Diesel Locomotive Works and Integral Coach Factory). With effect from 1977-78, the working of the Defence Services Canteen Stores Department has been included as its transactions now form part of the Budget following the recommendations of the Public Accounts Committee. Starting from 1982-83 (Accounts), the working of atomic energy industrial projects and from 1983-84 (Accounts), those of Civil Aviation, commercial broadcasting service, light-houses and lightships and irrigation works are also treated as commercial undertakings.

अतः यहां यह बता देना महत्वपूर्ण होगा कि विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की उद्युक्त सूची में, केन्द्रीय सरकार द्वारा हाथ में लिए जाने वाले वाणिज्यिक या अर्द्ध वाणिज्यिक किस्मों के कार्य-कलापों का पूरा ब्यौरा नहीं दिया गया है। तकनीकी दृष्टि से यह संभव है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग, करेंसी नोट प्रेस और सिक्कुरिटी प्रेस की गतिविधियाँ जैसे कार्य-कलापों को सरकारी वाणिज्यिक कार्य-कलापों के रूप में माना जाए। किन्तु यहां पर ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि उनकी सेवाओं की अधिकांश बिक्री या तो वाणिज्यिक आधार पर नहीं की जाती या उनकी बिक्री मुख्यतः सरकारी विभागों को ही की जाती है।

इस विवरण की मदें स्वतः स्पष्ट हैं। विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के संचालन खाते के व्यय पक्ष में कर्मचारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक (अर्थात् मजदूरी और वेतन), पेंशन आदायगियां, कच्चे माल आदि की खरीद आदि (अर्थात् वस्तुओं और सेवाओं का व्यय), मरम्मत और अनुरक्षण संबंधी व्यय, इन उपक्रमों द्वारा देय ब्याज और मूल्यहास की व्यवस्था दिखाई जाती है। वर्ष 1979-80 से रेलवे के राजस्व में हुई कमी को उनका आस्थगित लाभांश दायित्व माना जाता है और उसे उनके द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांशों में से घटा दिया जाता है। किन्तु रेलवे की सही वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करने के लिए, उनके पूर्ण लाभांश दायित्व को हिसाब में लिया गया है और कमी को काल्पनिक दृष्टि से रेलवे को दिया गया उधार माना गया है। प्राप्ति पक्ष में उपक्रमों की बिक्री से प्राप्त होने वाली कुछ रकमें तथा विभिन्न निधियों को बकाया राशियों पर प्राप्त होने वाली ब्याज की रकम दिखाई जाती है। अधिशेष के एक अंश को, उपक्रम के अंशदान के रूप में सरकारी प्रशासन के चालू खाते (विवरण 1) में अन्तरित कर दिया जाता है और शेष राशि को धारित लाभों के रूप में दिखाया जाता है।

यह धारित लाभों सहित सरकारी प्रशासन की बचत की राशि और विभागीय उपक्रमों के मूल्यहास की रकम मिलकर सरकार की कुल बचत की राशि बन जाती है जो सकल पूंजी निर्माण के लिए उपलब्ध होती है।

विवरण 3: वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण: सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों (सम्मिलित) का पूंजी खाता

इस विवरण का संबंध, कुल पूंजी-परिव्यय से है जो प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा निर्माण की जाने वाली भौतिक परिसम्पतियों और पूंजीगत अन्तरणों का द्योतक है। चूंकि पूंजी निर्माण संबंधी समस्त व्यय, अन्तिम व्यय होता है और राष्ट्रीय उत्पादन पर भारित होता है तथा सरकार को उसके लिए या तो अपनी बचतों से रकमें निकाल कर साधन जुटाने पड़ते हैं अथवा गैर-सरकारी बचतों से रकम जुटानी पड़ती है, इसलिए पूंजीगत व्यय के संबंध में प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में भेद करना अधिक सार्थक नहीं होगा।

सरकार द्वारा निर्माण की जाने वाली भौतिक परिसम्पत्ति को (विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के नवीकरण और प्रतिस्थापन व्यय को छोड़कर) सकल और निवल परिसम्पत्ति के निर्माण तथा तालिकागत सामान में हुई निवल वृद्धि के रूप में दिखाया गया है। पूंजीगत अन्तरणों के एक ब्योरे का भी उल्लेख किया गया है। वस्तुओं और सेवाओं तथा अन्तरणों में लेन देन के घाटे को विवरण 3 में सन्तुलनकारी मद के रूप में दिखाया गया है और इससे शेष अर्थव्यवस्था के प्रति सरकार के निवल दायित्व में हुए परिवर्तन की मात्रा का पता चलता है।

मद 1.1 : भवन और अन्य निर्माण कार्य में सभी कार्यालय, रिहायशी इमारतें और अन्य प्रयोजनों की इमारतें, सड़कें, रेलवे तथा डाक और तार संबंधी निर्माण कार्य, बिजली और अन्य पूंजीगत परियोजनाएं शामिल हैं।

मद 1.2 : मशीनें और उपकरण मद में, विभिन्न किस्मों की मशीनों और उपकरणों की खरीद के संबंध में किये जाने वाला व्यय शामिल है। इनमें

It is important to note here that the list of departmental commercial undertakings as given above does not exhaust the activities of a commercial or semi-commercial nature, undertaken by the Central Government. It is technically possible to treat activities like those of the Publication Division of the Ministry of Information and Broadcasting, Currency Note Press and Security Press as commercial activities of the Government. This has not been done here either because of the bulk of the sale of their services is not on a commercial basis or because the sale is mainly to Government Departments.

The items in this account are self-explanatory. The expenditure side of the operating account of departmental commercial undertakings spells out compensation to employees (i.e. wages and salaries), pension payments, purchases of raw materials etc. (i.e. commodities and services), expenditure on repairs and maintenance, interest charged to these undertakings and provision for depreciation. With effect from 1979-80 the shortfall in the revenues of the Railways are treated as their "deferred dividend liability" and are deducted from the dividends payable by them to general revenues. However, in order to truly reflect the financial position of the Railways, their full dividend liability has been taken into account and the shortfall has been treated notionally as loans to Railways. The receipt side shows their gross sale proceeds and the interest receipts on their outstanding balances in various funds. A part of the surplus emerging out of this is transferred to the current account of Government administration (Account I) as undertakings' contribution and the balance appears as retained profits.

These retained profits together with the savings of the Government administration and depreciation provision of departmental undertakings constitute total gross Government savings, available for gross capital formation.

Account 3: Transactions in commodities and services and transfers : Capital account of Government Administration and Departmental Commercial undertakings (combined)

This account is concerned with the total capital outlay representing physical asset formation by administration and departmental commercial undertakings and capital transfers. A distinction between administration and departmental commercial undertakings in respect of capital expenditure is not very meaningful for the reason that the entire expenditure on capital formation is a final expenditure which is a charge on the national product and for which Government has to find resources either from its own savings or by drawing on private savings.

The physical asset formation by Government has been shown in terms of gross and net asset formation (excluding the renewal and replacement expenditure of departmental commercial undertakings) and net increase in inventories. A breakdown of capital transfers has also been indicated. The deficit on all transactions in commodities and services and transfers is shown as a balancing item in Account 3 and this measures the change in Government's net indebtedness to the rest of the economy.

Item 1.1: Building and other construction include all buildings for residential, office and other purposes, road construction, works of railways and posts, telecommunications, power and other capital projects.

Item 1.2: Machinery and equipment include expenditure incurred on the purchase of various types of machinery and

विदेशी सहायता के अंतर्गत प्राप्त मशीनें भी शामिल होती हैं। “नवीकरण और प्रतिस्थापन” शीर्षक के अन्तर्गत दिखाए गए व्यय का संबंध विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की मूल्यहास निधियों से वित्तपोषित व्यय से है। इसलिए मशीनों और उपकरणों पर तथा सरकारी प्रशासन द्वारा किए जाने वाले निर्माण संबंधी समस्त व्यय को नया परिव्यय शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया गया है क्योंकि इन परिसम्पत्तियों के मूल्यहास के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

मद 2 : निर्माण कार्य संबंधी भंडार में वृद्धि : निर्माण कार्य के लिए आवश्यक धारित सामान और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों तथा प्रशासनिक विभागों के तालिकागत सामान में होने वाली निवल वृद्धि अथवा कमी को इस मद में दिखाया गया है। 1977-78 (वास्तविक) से शुरू करके आयोजित उर्वरकों के स्टाकों के वर्गीकरण में परिवर्तन किया गया है, जिसके अन्तर्गत दिखाई गई बकाया उन प्राप्तियों को घटा कर भण्डारों में होने वाली वृद्धि के रूप में, जिनको विविध पूंजी प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

मद 3.1 : पूंजी निर्माण के लिए अनुदान : राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले पूंजीगत अनुदानों में, आयोजनागत स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में दिए जाने वाले एकमुश्त का आधा शामिल है, जो राजस्व बजट में ऐसे अनुदानों के साथ पूंजी निर्माण (अर्थात् ग्रामीण निर्माण कार्य) में सहायता देने के उद्देश्य से दिए जाने हैं। अन्य को दिए जाने वाले अनुदानों में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् तथा औद्योगिक संस्थानों जैसी संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदानों का एक भाग शामिल है जो उपकरणों की स्वयंसेवा और निर्माणों के लिए दिए जाते हैं।

मद 3.3 : इस मद में विदेशों को दिए जाने वाला अनुदान शामिल है। चूंकि इसका संबंध, देश से बाहर के आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास के लिए की जाने वाली बचतों के अंतरण न मानकर पूंजीगत अंतरण मानना युक्तिसंगत होगा।

मद 5 और 6 : पूंजी निर्माण के लिए उपलब्ध प्राप्तियों में विवरण 1 और 2 से आगे लाई गई चालू खाते की सकल बचतें, तथा विदेशी अनुदानों जिसमें दूसरे देशों से प्राप्त नकदी अनुदान और वस्तु अनुदानों की प्राप्तियां शामिल हैं। अन्य पूंजीगत प्राप्तियों में, निष्क्रांत सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि तथा जमीन की बिक्री की रकम को भवन और अन्य निर्माण पूंजी की राशि में से घटा दिया गया है।

विवरण 4 : वित्तीय परिसंपत्तियों में परिवर्तन : सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का पूंजी खाता

विवरण 4 का संबंध औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों को शेयर पूंजी में निवेश राशि और शेष अर्थ-व्यवस्था को दिए जाने वाले ऋणों और अग्रिमों जैसी वित्तीय परिसंपत्तियों के लेन-देन से है। ऋणों की राशि पूंजी निर्माण तथा अन्य प्रयोजनों के लिए नियत कर दी जाती है। पूंजी निर्माण के लिए शेयरों और ऋणों में निवेशित रकमों से जो विवरण 4 में दिखाई गई है, यह पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण करने का जो काम हाथ में लेती है उसके अतिरिक्त वह वित्तीय सहायता देकर अर्थ-व्यवस्था में किस सीमा तक पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देती है। विवरण 4 संतुलनकारी मद सहित, जो वित्तीय निवेशों और केन्द्रीय सरकार के ऋणों के निवल परिव्यय की द्योतक है, विवरण 3 के घाटे की राशि से यह पता चलता है कि निवल आन्तरिक और निवल विदेशी ऋणों की रकम से तथा घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा पूरी की जाने वाली कुल वित्तीय आवश्यकता कितनी है।

मद 1 : सरकारी प्रतिष्ठानों के शेयरों में किए जाने वाले निवेशों का तात्पर्य-सरकार के ऐसे गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की शेयर पूंजी में निवेश, जिनके 50 प्रतिशत से अधिक शेयर केन्द्रीय सरकार के पास हों। बैंकों, सामान्य बीमा आदि का राष्ट्रीयकरण किए जाने के परिणामस्वरूप अधिगृहीत शेयरों आदि को भी निवेश माना जाता है। अन्य सभी प्रतिष्ठानों

equipments including machinery obtained under foreign aid. The expenditure shown against renewals and replacement' refers to expenditure financed out of the depreciation funds of the departmental commercial undertakings. The entire expenditure on machinery and equipment as well as on construction by the Government administration therefore appears as new outlay', since no provision for depreciation of these assets is made in the budget.

Item 2: Increase in stocks stores : The net increase or decrease in stocks needed for construction work and inventories of departmental commercial undertakings and administrative departments is shown under this item. There has been a change introduced in classifying imported fertilizers' transactions beginning 1977-78(Accounts) whereby the net transactions are treated as subsidy instead of increase in stocks after deducting arrear receipts shown under recoveries for past years which are classified under miscellaneous capital receipts.

Item 3.1: Grants for Capital Formation: Capital grants to States and Union Territories include one-half of block grants given as Central assistance for plan schemes, as well as such grants in the revenue budget as are intended to assist capital formation(e.g. rural works). Grants to others include part of grants to institutions like Council of Scientific and Industrial Research and Institutes of Technology, treated as intended for purchase of equipment and for construction.

Item 3.3: This item includes grants to foreign countries. The rationale of treating these grants as capital rather than current transfer is that they involve transfer of savings for economic reconstruction and development outside the country.

Item 5 and 6: Receipts available for capital formation consist of gross savings on current account brought over from Accounts 1 and 2, and receipts of foreign grants include both cash grants and commodity grants received from other countries. Other capital receipts include sale proceeds of evacuee property and proceeds from sale of land. The sale of other physical assets has been netted against outlay on building and other construction.

Account 4: Changes in financial assets : Capital Account of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings

Account 4 is concerned with transactions in financial assets, i.e. investment in share capital of industrial and commercial concerns and loans and advances granted to the rest of the economy. Loans have been allocated between those meant for capital formation and those for other purposes. Investments in shares and loans for capital formation as shown in Account 4 indicate the extent to which the Central Government promotes capital formation in the rest of the economy through financial assistance in addition to the capital formation directly undertaken by it. The balancing item of Account 4, representing net outlay on financial investments and loans of the Central Government together with the deficit in Account 3 represents the total requirements of finance to be met out of net domestic and net foreign borrowing and by the deficit financing.

Item 1: Investments in shares of Government concerns denote investments in the share capital of such non-departmental commercial undertakings of the Government, in which the Central Government ownership is more than 50 per cent. Acquisition of shares as a result of nationalisation of banks,

को, चाहे वे गैर-सरकारी, सहकारी अथवा सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान हो, अन्य प्रतिष्ठान कहा गया है। सरकारी प्रतिष्ठानों के मामले में, वित्तीय प्रतिष्ठानों और गैर-वित्तीय प्रतिष्ठानों के बीच भेद किया गया है।

मद 2 : पूंजी निर्माण के लिए देय ऋणों में पूंजी-परिसम्पत्ति का निर्माण करने के लिए दिए जाने वाले ऋण शामिल हैं जिसमें राज्यों, स्थानीय प्राधिकरणों, गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों तथा औरों को दिए जाने वाले ऋण शामिल हैं। केवल गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लिए दिये गये आयोजनागत ऋणों को पूंजी निर्माण के लिए देय ऋण माना गया है। पूंजी निर्माण के लिए औरों को दिए जाने वाले ऋणों में गैर-सरकारी औद्योगिक उपक्रमों, सहकारी आवास समितियों को दिए जाने वाले तथा मकान बनाने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए दिए जाने वाले ऋण शामिल हैं।

मद 3 : राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले अन्य ऋणों में अर्थोपाय अग्रिम, अल्पावधिक कृषि ऋण, दैवी विपत्तियों के संबंध में देय ऋण तथा आयोजना-भिन्न अन्तर को पूरा करने के लिए दिए जाने वाले विशेष ऋण शामिल हैं। चूंकि राज्यों को दिए गए सभी अर्थोपाय अग्रिम उसी वित्तीय वर्ष में ले लिए जाते हैं इसलिए 1975-76 से इस शीर्ष के अन्तर्गत भुगतान और प्रप्तियों को छोड़ देने का निश्चय किया गया था। इसी प्रकार, कृषि निविष्टियों के लिए राज्य सरकारों को अल्पावधिक ऋणों को 1985-86 (वास्तविक) से छोड़ दिया गया है। राज्यों को दिये गये मध्यावधि ऋणों को, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास उसके घाटों/ओवर ड्राफ्टों को पूरा करने के लिए उन्हे दी गई थी, छोड़ दिया गया क्योंकि इनसे भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा पुस्तकों में राज्यों की देनदारियों का केन्द्र को अंतरण ही प्रकट होता था। गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को अन्य ऋण में उसके घाटे की पूर्ति के लिए तथा पहले की ऋणों की वापसी अदायगियों के लिए दिए गए आयोजना-भिन्न ऋण शामिल हैं। तथापि 1975-76 (संशोधित अनुमान) से गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के पिछले ऋणों के नवीनीकरण का ब्यौरा उपलब्ध हो गया है और इस कारण इनको व्यय और आय में शामिल नहीं किया गया है। विदेशी सरकारों को दिए जाने वाले ऋणों में वे तकनीकी ऋण शामिल हैं जो उन देशों को दिए जाते हैं जिनके साथ रुपयों में अदायगी करने के लिए करार किए गए हैं। चूंकि अधिकांश तकनीकी ऋणों की वसूली उसी वित्तीय वर्ष में की जाती है इसलिए उन्हें अब 1981-82 (वास्तविक) से निवल आधार पर दिखाया गया है। अन्यो को दिए जाने वाले ऋणों में सरकारी कर्मचारियों के देय वाहन अग्रिम तथा राहत ऋण (जैसे तूफान सहायता) शामिल हैं।

मद 4 : इसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ तथा एशियाई विकास बैंक को दिए जाने वाले अभिदान शामिल हैं।

मद 5 : यह मद स्वर्ण की किसी भी बिक्री की राशि के समायोजन के बाद स्वर्ण की वास्तविक खरीद की द्योतक है जैसे कि 1980-81 में 4 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांडों के रुप में वापसी अदायगी किया जाना।

मद 7 : अन्यो द्वारा ऋणों की वापसी अदायगी में सरकारी उपक्रमों द्वारा वापस अदा किए गए ऋण शामिल हैं। यहां पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि चूंकि राज्यों को दिए जाने वाले अर्थोपाय अग्रिमों और अल्पावधि कृषि ऋण को उसी वर्ष में वापस अदा करना पड़ता है जिसमें वे दिए जाते हैं लेकिन उन्हें प्राप्ति और व्यय दोनों मदों में दिखाया जाता है।

मद 8 : यह मद केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री की द्योतक है।

विवरण 5 : वित्तीय देनदारियों में परिवर्तन : सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का पूंजी खाता

यह विवरण केन्द्रीय सरकार के ऋण संबंधी लेखे का द्योतक है और

general insurance etc., is also treated as investment. All other concerns whether in the private, cooperative or public sector have been treated as others'. In the case of Government concerns, a distinction has been drawn between financial concerns and non-financial concerns.

Item 2: Loans for capital formation include loans given for the creation of capital assets and comprise loans to States, local authorities, non-departmental commercial undertakings and others. Only plan loans given to non-departmental commercial undertakings have been taken as loans for capital formation. Loans for capital formation to others include loans to private industrial undertakings, cooperative housing societies and house-building loans to Government employees.

Item 3: Other loans' to State Governments and Union Territories include ways and means advances, short-term agricultural loans, loans for natural calamities and special loans for meeting non-plan gaps. Since the entire ways and means advances to States are recovered within the same financial year, it was decided to ignore both the disbursements and the receipts under this head with effect from 1975-76. Similarly, short-term loans to State Governments for agricultural inputs have been ignored with effect from 1985-86 (Accounts). Medium-term loans to States to clear their deficits/overdrafts with the Reserve Bank of India are also ignored, as these represent only transfer of liability from the States to the Centre in the books of the Reserve Bank. Other loans' to non-departmental commercial undertakings include non-plan loans given for meeting their losses and also for the repayment of past loans. However, from 1975-76(RE) onwards, the details of renewals of past loans in respect of non-departmental commercial undertakings became available and therefore, these have been excluded both from the outgoing and the incoming. Loans to foreign Governments also include technical credits to countries having rupee payment agreements. Since a large part of technical credits are recovered within the same financial year, these are now shown on a net basis with effect from 1981-82(Accounts). Loans to others' include conveyance as well as relief (e.g. cyclone) loans to Government employees.

Item 4: This include subscription to IMF, IBRD, IDA and ADB.

Item 5: This represents net purchase of gold after adjusting for any sale of gold, as for instance repayment in gold of National Defence Gold Bonds in 1980-81 valued at Rs.4 crores.

Item 7: Repayments by others include loan repayments by public undertakings. It may be noted that short-term agricultural loans in respect of States are supposed to be repaid in the course of the same year but appear as items of receipts as well as of expenditure.

Item 8: This represents the sale of shares of Central Public Sector Undertakings.

Account 5: Changes in financial liabilities : Capital Accounts of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings

This represents the borrowing account of the Central

इसका संबंध विवरण 3 और 4 से होने वाली कमियों को पूरा करने के लिए की जाने वाली वित्तीय व्यवस्था से है। प्राप्तियों से सकल बाजार ऋण की रकम, सकल विदेशी ऋण और अल्प बचतों से निवल प्राप्तियां, भविष्य निधियां, गैर-सरकारी भविष्य निधियों की जमा राशियां, मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋणों जिसमें शून्य कूपन बॉण्ड तथा परिपक्व राजकोषीय हुण्डियों के बदलने में ऋण शामिल हैं। मद 12(ख) पर 364 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों सहित अल्पकालिक ऋण।

इस संबंध में स्वर्च होने वाली रकमों में बाजार ऋणों (मद 1) और विदेशी ऋणों (मद 2) के संबंध में वापिस अदायगी की जाने वाली शामिल हैं। इस विवरण के अन्तर्गत शेष राशि को समायोजित रकम के साथ मिलाने पर वह विवरण 3 और विवरण 4 की संतुलनकारी मदों के योग के बराबर हो जाती है।

विवरण 6 : सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का रोकड़ और पूंजी समाधान खाता

यह एक ऐसा समाधान खाता है जो सार रूप से विवरण 3, 4 और 5 की निवल स्थिति का द्योतक है और केन्द्रीय सरकार के सभी लेन-देनों के, उसकी नकदी राशि पर पड़ने वाले प्रभाव को दिखाता है। विवरण 5 में राजकोषीय हुण्डियों की बिक्री की निवल राशियों और नकद शेष राशि में होने वाले अन्तर को मिलाकर देखना केन्द्रीय सरकार के बजट संबंधी घाटे को मापने की एक परम्परागत व्यवस्था है। किन्तु आर्थिक दृष्टि से घाटे की वित्तव्यवस्था को ठीक-ठीक समझने के लिए और बातों का समायोजन आवश्यक होता है जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक को छोड़कर अन्य पार्टियों के हाथ बेचे जाने वाली राजकोषीय हुण्डियों की रकमों को अलग करना पड़ता है और इस घाटे का हिसाब लगाने के लिए बाजार ऋणों के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले समर्थनों को इसमें शामिल करना पड़ता है।

ख. कार्य संबंधी वर्गीकरण

कार्य संबंधी वर्गीकरण का उद्देश्य मुख्य अभीष्ट प्रयोजनों के अनुसार सरकारी स्वर्च की मुख्य मदों अर्थात् रक्षा, प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सेवाओं आदि मदों को भिन्न-भिन्न वर्गों में संकलित करना है। किन्तु इस पुस्तिका में वर्गीकरण का उद्देश्य सरकारी व्ययों के कार्य संबंधी वर्गीकरण में कुछ संशोधन करना नहीं है जो कि वर्तमान बजट पत्रों में हैं, बल्कि यह आर्थिक वर्गीकरण के साथ कार्यों के अनुसार पुनः वर्गीकरण करने का एक प्रयास है जिसके आर्थिक वर्गीकरण से उत्पन्न आयामों का महत्व बढ़ाया जा सके।

यह बात भी उल्लेखनीय है कि कार्य संबंधी वर्गीकरण की स्कीम, वस्तुतः व्यय से संबंधित है और यह प्राप्तियों पर लागू नहीं होती। केन्द्रीय सरकार का कुल परिव्यय जिस पर यह लागू होता है, आर्थिक वर्गीकरण विवरण 1 में चालू व्यय, विवरण 3 में पूंजी परिव्यय और विवरण 4 में वित्तीय निवेशों और श्रेणियों तथा अग्रिमों से बनता है। ये तीन विवरण उन व्ययों को प्रदर्शित करते हैं जिनका संबंध सरकारी नीतियों द्वारा पूरे किए जाने वाले विशिष्ट प्रयोजनों के साथ जोड़ा जा सकता है यही बात विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के चालू व्यय के लिए नहीं कही जा सकती। (जैसा आर्थिक वर्गीकरण के विवरण 2 में दिखाया गया है) हालांकि इन उपक्रमों द्वारा किया गया पूंजी निर्माण कार्य संबंधी वर्गीकरण में शामिल किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार के व्यय का वर्गीकरण चार मुख्य श्रेणियों में किया गया है :—

1. सामान्य सेवाएं
2. सामाजिक सेवाएं
3. आर्थिक सेवाएं
4. अनावंटनीय

श्रेणी 1 : इसका संबंध सामान्य सेवाओं से है और इसमें असैनिक (सिविल) तथा रक्षा संबंधी दोनों व्यय आते हैं। ये व्यय राष्ट्र के बुनियादी प्रशासनिक ढांचे की व्यवस्था के लिए किए जाते हैं अतः सामान्य प्रशासन, कर संग्रह, पुलिस, करंसी तथा टकसाल, विदेशों से संबंध, रक्षा तथा दैवी

Government, and is concerned with the provision of finance for meeting the deficits emerging from Account 3 and 4. Incomings detail gross market borrowing, gross borrowing from abroad, net accretions to small savings, provident funds, deposits of non-government provident funds, medium and long term loans include Zero Coupon Bonds and loans in conversion of maturing Treasury Bills. Short term loans at 12(b) include 364 days Treasury Bills.

The outgoings on this account include repayments on account of market borrowings (item 1) and foreign loans (item 2). The balance emerging from this Account represents the net increase in financial liabilities and together with adjustment in cash balances is equivalent to the sum of balancing items in Account 3 and 4.

Account 6: Cash and Capital Reconciliation Account of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings

This is the reconciliation account summing up the net position in respect of Accounts 3, 4 and 5 and showing the effect of all transactions of the Central Government on its cash position. The net variation in the cash balance read with net sales of treasury bills in Account 5 provide a conventional measure of the Central Government's budgetary deficit. The derivation of deficit financing in an economically more meaningful sense, however, calls for further adjustments; sales of treasury bills to parties other than the Reserve Bank of India have to be excluded and the Reserve Bank's support to market borrowings included in the computation of this deficit.

B. Functional Classification

A functional classification is designed to group the main items of Government expenditures in terms of broad purposes to be served, i.e. defence, administration, health, education, economic services etc. The objective of the classification adopted in this brochure, however, is not to introduce some refinements in the functional grouping of Government expenditures as may be already existing in the budget documents, but rather it is to attempt a reclassification by functions in conjunction with an economic classification in order to increase the significance of the magnitudes emerging from the latter.

It is also noteworthy that the scheme of functional classification relates essentially to expenditures and does not apply to receipts. The total outlay of the Central Government to which it applies is made up of the current expenditure in Account 1, capital expenditure in Account 3 and financial investments and loans and advances in Account 4 of the Economic Classification. These three accounts show expenditures which can be related to specific purposes to be served by Government policies. The same cannot be said of the current expenditure of departmental commercial undertakings (as shown in Account 2 of the Economic Classification) although capital formation by these undertakings is included in the functional classification.

The expenditure of the Central Government has been grouped into four main categories:

1. General Services
2. Social Services
3. Economic Services
4. Unallocable

Category 1 : Category 1 relates to General Services and covers both civil and defence. These expenditures are incurred for the provision of the basic administrative structure of the nation; thus expenses on general administration, tax collection,

विपत्तियों से बचाव के लिए किया जाने वाला आयोजना-भिन्न व्यय इस श्रेणी के अन्तर्गत दिखाया जाता है यह भी ध्यान दिया जाए कि विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कार्यकलापों के निदेशन तथा अधीक्षण से संबंधित प्रशासनिक व्यय को संबद्ध कार्य के संबंधी शीर्षकों के अन्तर्गत दिखाया गया है जहाँ एक से अधिक कार्यकलाप शामिल हों (उदाहरणार्थ लोक निर्माण कार्य), वहाँ ऊपरी प्रशासनिक स्तर को यथा सम्भव सीमा तक, विभिन्न कार्यकलापों में बांटने का प्रयास किया गया है।

श्रेणी 2 : इसका संबंध सामाजिक सेवाओं से है और यह समाज की बुनियादी सामाजिक सुविधाओं के लिए की गई व्यवस्था से संबंधित है इसमें शिक्षा, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सेवाओं का व्यय शामिल है। शिक्षा के अन्तर्गत सामान्य और तकनीकी अनुसंधान (अर्थात् इंजीनियरिंग और मेडीकल कालेज) और मूल अनुसंधान भी शामिल हैं। यद्यपि अन्तर सेवा प्रशिक्षण और प्रयोगात्मक अनुसंधान को संबद्ध कार्यकलाप में आवंटित किया गया है। उदाहरण के लिए परमाणु तथा औद्योगिक अनुसंधान दोनों उद्योग के अन्तर्गत दिखाए गए हैं। उपसमूह "चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य" में परिवार कल्याण के कार्यक्रम भी आते हैं उपसमूह अन्य सामाजिक सेवाओं में आवास, श्रमिक कल्याण तथा अन्य समाज कल्याण योजनाएं, संग्रहालय, पुरातत्व, सार्वजनिक पुस्तकालय तथा प्रसारण और प्रचार के अन्य साधनों से संबंधित व्यय भी शामिल है। विभिन्न रोजगार कार्यक्रम के व्यय के लिए बजट में जो व्यवस्था की गई है वह इसमें शामिल है। इसी उपसमूह में प्राथमिक शिक्षा, गन्दी बस्ती के सुधार, ग्रामीण जल पूर्ति और ग्रामीण आवास स्थलों के लिए बजट में एक मुख्य रकम के रूप में की गई व्यय व्यवस्था भी शामिल है। बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम का व्यय भी यहाँ पर दिखाया गया है। विस्थापितों के लिए राहत कार्य पर किया जाने वाला व्यय इसमें शामिल है।

श्रेणी 3: इसमें आर्थिक सेवाओं के लिए की गई व्यवस्था आती है और इसमें सभी व्यय शामिल है जो अर्थ-व्यवस्था के उत्पादक कार्यों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देते हैं। इसलिए उत्पादक आर्थिक सहायता जैसे कि उर्वरकों, कोयला और रेलवे के लिए दी जाने वाली सहायता के साथ-साथ निर्यात संवर्धन और सहायता बाजार विकास के लिए यहाँ शामिल की जाती है। कृषि, उद्योग, परिवहन तथा संचार और 'अन्य आर्थिक सेवाएं' में और आगे अन्तर-विभाजित आर्थिक कार्यकलाप की किस्म के अनुसार किया जाता है। कृषि में सिंचाई, पशु-पालन, मीन उद्योग, वन पालन, सहकारिता तथा सामुदायिक विकास शामिल है। उद्योग में मोटे तौर पर बड़े और छोटे उद्योग, ग्रामोद्योग, विद्युत विकास, स्निज साधनों का उपयोग तथा व्यापार और निर्यात संवर्धन आते हैं। परिवहन और संचार में रेल, डाक, दूर-संचार, सड़क, पत्तन, नौवहन, नागर विमानन सड़कें आदि शामिल हैं। 'अन्य आर्थिक सेवाएं' एक अवशिष्ट श्रेणी है जिसमें बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं पर व्यय और अल्प बचतों में राज्यों के हिस्से जैसी मदें शामिल हैं, राज्यों को आयोजनागत सहायता के लिए केन्द्र द्वारा मंजूर किए गए एकमुश्त अनुदान और ऋण भी इसी श्रेणी में आते हैं, हालांकि इन्हें अलग दिखाया गया है। ये सभी व्यय ऐसे हैं जिनका संबंध आर्थिक कार्यकलापों की एक से अधिक किस्मों से है।

अन्त में, कुछ ऐसी किस्म के व्यय हैं जिनका संबंध विशिष्ट प्रयोजनों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता और उनका वर्गीकरण अनावंटनीय श्रेणी के अन्तर्गत किया गया है इसमें शामिल व्यय की मुख्य किस्में हैं- ब्याज अदायगी, पेंशन, स्वाद्य, स्वाद्य तेल तथा नियंत्रित कपड़े पर दी जाने वाली उपभोक्ता आर्थिक सहायता तथा राज्य सरकारों को सांविधिक सहायता, अनुदान अर्थोपाय अग्रिम और विशेष ऋण। यद्यपि स्वतंत्र संबंधी आर्थिक सहायता की रकम अनावंटनीय मानी गई है किन्तु अन्य आर्थिक सहायता की रकमों जैसे उर्वरकों और निर्यातों के लिए आर्थिक सहायताएं संगत कार्य श्रेणियों में आवंटित की गई हैं। अनावंटनीय श्रेणी में विदेशों को रकमों का अन्तरण जैसे नेपाल और भूटान को अनुदान तथा विदेशों को तकनीकी ऋण तथा अन्य ऋण आते हैं। जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को दिए जाने वाले

police, currency and the mint, conduct of external relations, defence and the non-plan provision against natural calamities are shown under this category. It may be noted that the administrative expenditures concerned with the direction and superintendence of the various social and economic activities appear under the relevant functional heads. Where more than one activity is involved (e.g. public works), an attempt has been made to apportion, to the extent possible, the administrative overheads to the various activities.

Category 2 : Category 2 relates to Social Services and is concerned with the provision of basic social amenities to the community. Expenditures on education, medical and public health and other social services are included here. Education covers both general and technical education (e.g. engineering and medical colleges) and also basic research. However, in-service training and applied research have been allocated to the activities concerned. For instance, both atomic and industrial research appear under Industry. The sub-group medical and public health' also covers family welfare programmes. The sub-group other social services, includes housing, labour welfare and other social welfare schemes, museums, archaeology, public libraries and also expenditures connected with broadcasting and other publicity media. Expenditures provided in the budget for various programmes of employment are also included here. This sub-group also covers such expenditures as the lump-sum provision made in the budget for primary education, slum improvement, rural water supply and rural home sites. The expenditure on nutrition programme for children is also shown here. The relief expenditure for displaced persons are included here.

Category 3 : Category 3 comprises provision for Economic Services and includes all such expenditures as to promote, directly or indirectly, productive activity within the economy. Producer's subsidies such as for fertilisers, coal and railways, as also the assistance for export promotion and market development are, therefore, included here. Further sub-division into agriculture, industry, transport and communications and other economic services' is done according to the type of economic activity. Agriculture includes irrigation, animal husbandry, fisheries, forestry, cooperation and community development. Industry broadly covers both large, small scale and village industries, power development, exploitation of mineral resources and trade and export promotion. Transport and communications include Railways, Posts, Telecommunications, ports, shipping, civil aviation, roads etc. Other economic services' is a residual category which includes items like outlays on multipurpose projects, and States' share in small savings. The block grants and loans granted by the Centre to the States for plan assistance, although shown separately, also belong to the same category. All these expenditures are as such concerned with more than one type of economic activity.

Finally, there are certain types of expenditure which cannot be related to specific purposes and have been grouped under the category "unallocable". The main types of expenditures included here are interest payment, pensions, consumer subsidies (such as on food, edible oils and controlled cloth) and such transfers to the State Governments as statutory grants-in-aid, and special loans. While consumption subsidies have been treated as unallocable, other subsidies such as subsidies for fertilisers, and exports have been allocated to the relevant functional categories. The unallocable category also includes transfer to foreign countries e.g. grants to Nepal and Bhutan, technical credits and

अभिदानों का संबंध है, यह बात स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा खाद्य और कृषि संगठन को दिए जाने वाले अंशदान उनके अपने-अपने कार्य संबंधी शीर्षकों (जैसे स्वास्थ्य तथा कृषि) के अन्तर्गत आते हैं किन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ को अंशदान तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक आदि को दिए जाने वाले सामान्य सेवाएं के अन्तर्गत दिखाए गए हैं।

आर्थिक श्रेणियों तथा कार्यों के द्वारा केन्द्रीय सरकार के व्ययों के सम्मिलित वर्गीकरण में, जैसा इस पुस्तिका में बताया गया है, स्तम्भ (कालम) कार्य संबंधी वर्गों के अनुरूप है और पंक्तियां उनके आर्थिक स्वरूप को सूचित करती हैं जिसका आधार आर्थिक वर्गीकरण है। अतः स्तम्भों के अनुसार पढ़ते हुए आर्थिक शीर्षकों के अन्तर्गत प्रत्येक कार्य संबंधी श्रेणी का ब्योरा देखा जा सकता है, उदाहरण के लिए इससे यह पता चलता है कि प्रत्यक्ष चालू व्यय के रूप में शिक्षा पर कुल कितना व्यय हुआ, अनुदानों और ऋणों के रूप में कितना व्यय हुआ और पूंजी निर्माण अर्थात् स्कूली इमारतों आदि के रूप में कितना खर्च हुआ। इसी प्रकार पंक्तियों के साथ-साथ पढ़ते हुए यह पता चलता है कि खपत पूंजी पर होने वाले व्यय में से प्रशासनिक सेवाओं के लिए और सामाजिक तथा आर्थिक शक्ति तैयार करने पर कितना खर्च किया गया। इस प्रकार सम्मिलित वर्गीकरण केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय का द्योतक है जिसे, खपत, सकल पूंजी निर्माण, चालू और पूंजीगत अंतरणों और वित्तीय निवेशों तथा ऋणों और अग्रिमों की मदों में उसके मुख्य प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक प्रयोजनों के हिसाब से बांट कर दिखाया गया है।

other loans to foreign countries. As regards contributions to international organisations, it may be noted that while contributions to such organisations as World Health Organisation and Food and Agricultural Organisation of the United Nations, appear under the respective functional heads (viz. health and agriculture) contribution to the United Nations and also subscription to IMF, IBRD etc., are shown under General Services.

In the cross-classification of the Central Government expenditure by economic categories and by functions, as presented in this brochure, columns correspond to the functional categories and rows indicate their economic character, as derived from the Economic Classification. Thus reading along columns one may find out the breakdown of each functional category under economic heads; for instance, it would show as to how much of the total expenditure on education is in the form of direct current expenditure, how much in the form of grants and loans and how much in the form of capital formation i.e. construction of school buildings, etc. Similarly, reading along rows, one may find out as to how much of the expenditure on consumption or capital formation is for administrative services and how much for building up social and economic potential. The cross-classification thus shows the total expenditure of the Central Government as broken down into consumption, gross capital formation, current and capital transfers and financial investments and loans and advances and as related to their broad administrative, social and economic purposes.